प्रशिक्षण मेनुअल

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के जमीनी कार्यकर्ताओं के उपयोग हेतु

WaterAid

मेनुअल के बारे में

जल जीवन मिशन के विभिन्न घटकों पर केन्द्रित यह मेनुअल, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, क्रियान्वयन सहायता एजेन्सियों के कार्यकर्ताओं और अन्य सामुदायिक हितधारकों के प्रशिक्षण हेतु तैयार किया गया है। जल जीवन मिशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्रदान करने के लिए मेनुअल को विषय वार अलग-अलग सत्रों में बांटा गया है।

आमतौर पर देखने में आता है कि फील्ड स्तर पर जब पूरे दिन या लगातार दो-चार दिन के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं तो समय अभाव और अन्य व्यस्तताओं के कारण प्रतिभागी पूरे समय या नियमित रूप से प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं रह पाते। प्रतिभागियों की सुविधा और उनकी रूचि को बनाये रखने के लिए एक दिन में एक विषय पर 3-4 घण्टे का प्रशिक्षण आयोजित करना ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेनुअल को कुछ इस तरह डिजायन किया गया है कि हर एक सत्र अपने आप में पूर्ण हो ताकि टुकड़े-टुकड़े में अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण देने के लिए भी मेनुअल का उपयोग किया जा सके। इसके अलावा जल जीवन मिशन पर कार्य करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भी इस मेनुअल का उपयोग किया जा सकता है।

हर एक सत्र के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है, बेहतर होगा कि प्रशिक्षक उस समय सीमा में सत्र को पूर्ण करने का प्रयास करें। जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण सत्रों को उप सत्रों में बांटा गया है और सत्रों को सहभागी तथा रूचिकर बनाने के लिए वीडियो फिल्म, रोल प्ले, केस स्टेडी, सवाल-जवाब, समूह अभ्यास गतिविधियां शामिल की गई हैं। मेनुअल की विषय-वस्तु को सरल और सहज रखने को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई है।

मेनुअल में जल जीवन मिशन के विभिन्न आयामों जैसे - उद्देश्य, लक्ष्य, नल जल योजना के लिए ग्राम कार्य योजना निर्माण, क्रियान्वयन व निगरानी, नल जल योजना के संचालन व रखरखाव में विभिन्न हितधारकों की भूमिका के महत्व के साथ-साथ सतत और गुणवत्ता पूर्ण जल आपूर्ति हेतु मांग और आपूर्ति के अंतर के आकलन हेतु जल बजट का निर्माण, मौजूदा जल स्रोतों के प्रबंधन और वर्षा जल के संरक्षण व संग्रहण पर भी जोर दिया गया है। आशा है कि जमीनी स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करने में यह मेनुअल स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ी क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी और अन्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिये उपयोगी साबित होगा।

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)

प्रतिभागी : जेजेएम में आईएसए (क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी) या क्षमता निर्माण संगठनों/एजेन्सी के रूप में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के फील्ड स्टाफ (अधिकतम 25)

प्रमुख उद्देश्य

1. जेजेएम के उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी प्रदान करना जो समुदाय, ग्राम पंचायतों और जमीनी संगठनों/ संस्थाओं/समितियों के लिए प्रासंगिक है।
2. सतत और सुरक्षित जल आपूर्ति के लिए जेजेएम में सामुदायिक भागीदारी, विशेषकर महिलाओं के महत्व पर दृष्टिकोण बनाना।
3. जेजेएम अंतर्गत योजना बनाने, कार्यान्वयन में सहायता और योजना की निगरानी के लिये कौशल विकसित करना।
4. सामुदायिक संगठनों/समितियों और समूहों के लिए सहभागी प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों का प्रशिक्षकों के रूप में कौशल विकास करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिन/समय	विषय	विधि/प्रक्रिया	रिमार्क
पहला दिन			
10.00-11.30	परिचय, अपेक्षाएं और प्रशिक्षण का संदर्भ स्थापित करना तथा जमीनी नियम तैयार करना	जोड़े में परिचय पिछले दो दशकों में उनके साथी ने अपने गांव/क्षेत्र में पानी की स्थिति/उपलब्धता में क्या बदलाव देखे हैं?	जल की व्यवस्था में नदियों, कुओं, तालाबों, नलकूपों, हैंडपंपों में पानी की उपलब्धता, घटते जल स्तर से संबंधित वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करें।
11.30-12.00	**चाय**		
12.00-13.00	जेजेएम क्या है? प्रमुख विशेषताएं, अवसर और चुनौतियाँ	जेजेएम पर वाटरएड द्वारा तैयार फिल्म दिखाएं। प्रतिभागियों से पूछें कि गांव में नल जल योजना की मांग वाली इस फिल्म की खास बातें क्या हैं। पीपीटी/चार्ट के माध्यम से जेजेएम पर जानकारी प्रदान करने के बाद खुली चर्चा करें।	जेजेएम पर महत्वपूर्ण जानकारी जैसे - लक्ष्य, प्रति व्यक्ति पानी की मात्रा, कार्यान्वयन एजेन्सी की भूमिका, लागत आदि साझा करने के लिए पीपीटी, चार्ट का उपयोग करें।

13.00-14.00	**भोजन**		
14.00-15.30	नल जल योजना में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी का महत्व	केस स्टडी (पहले से विकसित) पढ़कर सुनायें और प्रतिभागियों को 3 समूहों में बाटें - **समूह -1 :** नल जल योजना में हितभागी कैसे प्रभावित हो रहे हैं? **समूह-2 :** लोगों के जुड़ाव से संबंधित क्या कठिनाईयां देख रहे हैं, अगर जुड़ाव होता तो क्या होता? **समूह-3 :** अगर फिर से नई योजना लगनी हो तो उसमें सामुदायिक भागीदारी कब-कब आवश्यक है?	इस बात पर जोर दें कि अलग-अलग परिवार/व्यक्तियों की जरूरतें अलग होती हैं, सभी की भागीदारी से योजना के प्रति स्वामित्व की भावना पैदा होती है और अंशदान एकत्र करने में मदद मिलती है। योजना और क्रियान्वयन में स्थानीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
15.30-16.00	**चाय**		
16.00-17.30	वीएपी क्या है? वीएपी के प्रमुख चरण, जिन गांवों में वीएपी स्वीकृत हो गये हैं वहां वीएपी की पुनरीक्षा कैसे करें? वीएपी बनाने की प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया जाए?	अभ्यास - वीएपी को अधिक सहभागी कैसे बनायें - ट्रांजेक्ट वॉक, सामाजिक और संसाधन मानचित्रण और गरीब बस्तियों के विश्लेषण का तरीका। वीएपी में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? वीएपी में क्या-क्या होता है?	• आदर्श वीएपी निर्माण के चरणों को साझा करें। • निम्न स्थितियों में ग्राम पंचायत और जल समिति की क्या भूमिका हो सकती है इस पर चर्चा करें - ○ जिन गांवों में पहले से वीएपी स्वीकृत है, वहां वीएपी की पुनरीक्षा में किन बातों का ध्यान रखें। ○ जिन गांवों में नल जल योजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है वहां क्या देखने की आवश्यकता है? ○ जिन गांवों में अभी वीएपी नहीं बना है वहां क्या करने की आवश्यकता है?
	गृह कार्य	**वीएपी/जेजेएम पर उपलब्ध फिल्म देखने के लिये कहें**	

दूसरा दिन

09.30-10.00	पिछले दिन के सत्रों की प्रमुख सीखों का	प्रत्येक प्रतिभागी से पिछले दिन के प्रशिक्षण की कोई एक प्रमुख	

	दोहराव/चर्चा	सीख साझा करने के लिए कहें। इसके बाद, कोई एक बात जो ठीक से समझ में ना आयी हो, बताने के लिए कहें।	
10.00-11.30	नल जल योजना की डिजाइन के विभिन्न अवयवों को समझना - ओवरहेड टैंक राइजिंग मेन, वितरण लाइन / व्यवस्था, घरेलू कनेक्शन आदि	नल जल योजना की डिजायन के विभिन्न अवयवों और उनके महत्व को साझा करें, दी गई जानकारी पर सवाल-जवाब करें। प्रतिभागियों को 4-5 समूह में बांटकर, नल जल योजना के विभिन्न अवयवों के चित्र देकर उन्हें तकनीकी रूप से क्रम वार लगाने के लिए कहें।	पीपीटी/चार्ट के माध्यम से नल जल योजना के विभिन्न अवयवों की तकनीकी जानकारी और डीपीआर में दिये जाने वाले विवरण की जानकारी साझा कर, खुली चर्चा के साथ सत्र समेकित करें।
11.30-12.00	**चाय**		
12.00-13.30	जल सुरक्षा योजना कैसे बनायें? मुख्य विशेषताएं और चरण।	जल सुरक्षा का मतलब बताएं? यह किसके लिए? पानी किसके लिये जरूरी – मनुष्यों और पशुओं के पीने के लिए या खेती में सिंचाई के लिये। पानी की मांग और भूजल व सतही जल की उपलब्धता का आकलन करने के लिए केस स्टडी साझा करें। वर्षा जल को संग्रहण/संचयन के लिए विभिन्न संरचनाओं के निर्माण/मरम्मत की योजना कैसे बनाएं?	जल सुरक्षा योजना (मांग/आपूर्ति का आंकलन) बनाने के अभ्यास हेतु प्रतिभागियों को 4-5 समूहों में बांटें और प्रत्येक समूह को केस स्टडी के आधार पर चरण वार जल सुरक्षा योजना बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कहें। किसी गांव की आदर्श जल सुरक्षा योजना को पीपीटी/चार्ट के माध्यम से साझा करें।
13.30-14.30	**भोजन**		
14.30-17.30	जेजेएम के अंतर्गत नल जल की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने और संचालन एवं रखरखाव की निगरानी में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका	जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण संस्थानों का चपाती चित्रण करें – ग्राम, ग्राम पंचायत और ब्लॉक के स्तर पर। **(समूह कार्य की प्रस्तुति के बाद चाय ब्रेक)** प्रतिभागियों को 5-6 समूहों में बांटें और एक-एक संस्था का नाम देकर उसकी भूमिकाओं	समूह-1 : ग्राम पंचायत की भूमिका समूह-2 : ग्राम सभा की भूमिका समूह-3 : जल समिति की भूमिका समूह-4 : एस.एच.जी./ग्राम संगठन की भूमिका समूह-5 : क्रियान्वयन सहायता एजेंसी की भूमिका

		की पहचान कर प्रस्तुत करने के लिए कहें। समूह अभ्यास के प्रस्तुतिकरण के बाद संबंधित संस्था की भूमिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें।	समूह-6 : पीएचईडी/ठेकेदार की भूमिका कोई अन्य महत्वपूर्ण संगठन/संस्था जिसे चिन्हित किया जाये।
	गृह कार्य	**जिन विषयों पर चर्चा की गई उनसे संबंधित विषय पढ़ने और जल सुरक्षा योजना पर फिल्म देखने के लिए कहें।**	
तीसरा दिन			
09.30-10.30	पिछले दिन का दोहराव/ दिए गये गृह कार्य पर चर्चा – यदि कोई समस्या/सवाल हो तो उसका समाधान	प्रत्येक प्रतिभागी से पिछले दिन के प्रशिक्षण की कोई एक प्रमुख सीख साझा करने के लिए कहें। इसके बाद कोई एक बात जो ठीक से समझ में ना आयी हो, बताने के लिए कहें।	
10.30-13.00	किसकी निगरानी करेऔर कैसे करें: ए. पानी की गुणवत्ता बी.योजना निर्माण सी. सामुदायिक योगदान	प्रतिभागियों से पानी की विभिन्न अशुद्धियों के बारे में पूछें और उन्हें सूचीबद्ध करें। इन अशुद्धियों के कारण पूछें। पानी में मौजूद विभिन्न अशुद्धियों के उपचार के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। जल परीक्षण और उपचार के मौजूदा तंत्र, नमूनों से लेकर परीक्षण और परिणामों को साझा करने तक की प्रक्रिया के बारे में बतायें। **(चाय ब्रेक)** प्रतिभागियों को 4 समूहों में बांटें तथा चारों समूहों को अलग-अलग विषयों पर निगरानी के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहें। समूह अभ्यास का प्रस्तुतिकरण कराकर, पीपीटी/चार्ट के माध्यम से निगरानी के प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी देकर सत्र समेकित	**समूह-1** : ट्यूबवेल से राइजिंग मेन पाइपलाइन, सम्पवेल/ ओवरहेड टैंक तक की निगरानी **समूह-2** : सम्प वेल/ओवरहेड टैंक से मोहल्लों में बिछायी गई पाइपलाइन/वाल्व आदि की जल निगरानी **समूह-3** : घरों में नल कनेक्शन अंतिम छोर तक दबाव के साथ जल आपूर्ति और घरों में जल

		करें।	भण्डारण और उपयोग की निगरानी **समूह-4 :** जल वितरण व्यवस्था और सामुदायिक अंशदान तथा जल कर की व्यवस्था की निगरानी
13.00-14.00	**भोजन**		
14.00-16.00	सहभागी तरीके से नल जल योजना का संचालन और रखरखाव कैसे करें?	रखरखाव और संचालन में क्या-क्या बातें शामिल हैं, बताएं। नीचे दिये गए एजेन्डा के बिंदुओं पर ग्राम सभा की बैठक का रोल प्ले आयोजित करायें – **क)** रखरखाव और संचालन के प्रमुख क्षेत्रों का निर्धारण, **ख)** विभिन्न संस्थानों की जिम्मेदारियां, **ग)** जल कर का निर्धारण और संकलन तंत्र **घ)** जल सुरक्षा संबंधी कार्य **(रोल प्ले के बाद चाय ब्रेक)** प्रमुख सीखों/मुद्दों का समेकन। पीपीटी/चार्ट के माध्यम से रखरखाव और संचालन की प्रमुख बातों को साझा करें।	रोल प्ले हेतु प्रतिभागियों समूह में निम्न भूमिकाएं प्रदान करें - ए. विभिन्न समितियों के अध्यक्ष/सदस्य बी. पंच / सरपंच सी. शिक्षित युवा (पुरुष/महिला) डी. पीएचईडी इंजीनियर ई. रोजगार सहायक/सचिव कोई अन्य महत्वपूर्ण हितधारक/ ग्राम सभा सदस्य
16.00-18.00	सहभागी प्रशिक्षण	सहभागी प्रशिक्षण क्या है? वयस्कों के सीखने के सिद्धांत। प्रमुख सहभागी विधियां। प्रशिक्षण की रूपरेखा और सीखने का चक्र।	पिछले 3 दिनों के प्रशिक्षण अनुभवों को साझा करें। प्रतिभागियों को अपने पूर्व अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित करें।
	गृहकार्य स्व-शिक्षण हेतु ट्रेनिंग की रूपरेखा तैयार कर सत्र संचालन के अभ्यास के लिए प्रतिभागियों को 4 समूहों में बांटें	सहजकर्ता प्रतिभागियों को समूह में 45 मिनट की ट्रेनिंग डिजाइन तैयार करने और सत्र संचालन हेतु मार्गदर्शन करें। फीडबैक के लिए 15 मिनट अतिरिक्त रखें। प्रत्येक समूह के प्रशिक्षकों से पीपीटी/चार्ट तैयार करने को कहें। उन्हें कुछ छोटी-छोटी	समूह 1: वीएपी निर्माण पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना समूह 2: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों को उनकी भूमिकाओं/जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण देना समूह 3: जल सुरक्षा योजना पर

		सहभागी विधियों को उपयोग करने के लिए भी कह सकते हैं।	पंचायत प्रतिनिधियों/ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना समूह 4: जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव पर पंप ऑपरेटरों / स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण देना
चौथा दिन			
09:30-10.00	पिछले दिन की प्रमुख सीखों का दोहराव और आज आयोजित किये जाने वाले सत्रों के मानदंड निर्धारित करना	प्रत्येक प्रतिभागी से पिछले दिन के प्रशिक्षण की कोई एक प्रमुख सीख साझा करने के लिए कहें। इसके बाद, कोई एक बात जो ठीक से समझ में ना आयी हो, बताने के लिए कहें।	
10.00-11.30	समूह 1: वीएपी गठन पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना समूह 2: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों को उनकी भूमिकाओं/जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण देना		
11.30-11.45	चाय		
11.45-13.15	समूह 3: जल सुरक्षा योजना पर पंचायत प्रतिनिधियों/ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना समूह 4: जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव पर पंप ऑपरेटरों / स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण देना		
13.15-14.00	भोजन		
14.00-15.30	समूह अभ्यास की सीखों का समेकन। सत्र संचालन को सहज बनाने के प्रमुख सिद्धांत प्रशिक्षक की भूमिकाएँ और कौशल		
15.30-15.45	चाय		
15.45-16.30	प्रशिक्षण की सीखों को परियोजना क्षेत्र के गांवों में लागू करने और साझा करने की योजना बनाना	संस्था/सेक्टर/संगठन वार टीम में योजना तैयार कराना	योजना बनाने के लिए 15-20 मिनिट और प्रस्तुतिकरण के लिए 25-30 मिनट। फीडबैक और समेकन।
16.30-17.30	**प्रशिक्षण का मूल्यांकन, आभार और समापन**		

प्रथम दिवस

प्रथम दिवस, सत्र-1 : परिचय, अपेक्षाएं और प्रशिक्षण का संदर्भ स्थापित करना

सत्र के उद्देश्य

- प्रतिभागियों का एक दूसरे से परिचय कराना।
- प्रतिभागियों के क्षेत्रों में बीते दो दशक में पानी की उपलब्धता में आए बदलाव और चुनौतियों पर चर्चा के माध्यम से प्रशिक्षण का संदर्भ स्थापित करना।

समयावधि : 1 घंटा 30 मिनट

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर और मार्कर।

सत्र संचालन प्रक्रिया

- सभी प्रतिभागियों का पंजीयन सुनिश्चित करें।
- सभी प्रतिभागियों की बैठक व्यवस्था ठीक है या नहीं सुनिश्चित करें।
- खासकर महिला प्रतिभागियों से पूछें कि बैठक व्यवस्था में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है।
- सभी प्रतिभागियों का स्वागत करें तथा प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करें।
- यदि संभव हो तो दीप जलाकर / प्रार्थना/सामाजिक बदलाव आधारित गीत के गायन के साथ प्रशिक्षण की शुरुआत करें।

परिचय हेतु प्रक्रिया

- परिचय हेतु सभी प्रतिभागियों को अपना-अपना जोड़ीदार ढूंढने के लिये कहें। उन्हें ऐसा साथी ढूंढने के लिये कहें जिसे वो पहले से जानते न हों।
- प्रतिभागियों को 15 मिनिट का समय देकर, अपना-अपना जोड़ीदार ढूंढकर साथ में बैठने और एक-दूसरे के बारे में निम्न बिंदुओं पर जानकारी लेने के लिए कहें –
    1. साथी प्रतिभागी का नाम, पता, यदि पंचायत या किसी समिति/समूह के पदाधिकारी हों तो उसका नाम एवं पद
    2. बीते दो दशक यानी कि 20 साल में उनके गांव/क्षेत्र में पानी की स्थिति में क्या बदलाव आया है? किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

3. कोई एक ऐसी बात जिसके बारे में प्रशिक्षण से सीखना/जानना चाहते हैं?

- जब प्रतिभागी एक दूसरे के बारे में उपरोक्त बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर लें तो उन्हें बारी-बारी से अपने जोड़ीदार के साथ परिचय देने के लिए आमंत्रित कर एक-दूसरे का परिचय देने के लिए कहें। साथ ही कोई एक ऐसी बात जिसके बारे में वो प्रशिक्षण से सीखना चाहते हैं, बताने के लिए कहें। हर जोड़ी के परिचय के बाद ताली अवश्य बजवाएं।
- प्रतिभागियों द्वारा पानी की स्थिति में बदलाव के बारे में गांव/क्षेत्र वार जो कमियां बतायी जायें, प्रशिक्षक उनको एक चार्ट पेपर लिखते जायें। साथ ही प्रशिक्षण से प्रतिभागियों की सीखने/जानने की इच्छाओं को दूसरे चार्ट पेपर पर लिखते जायें।
- परिचय प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद प्रशिक्षक, प्रतिभागियों को प्रशिक्षण की विषय-वस्तु से अवगत कराएं तथा देखें कि प्रतिभागियों ने जिन विषयों पर जानने की इच्छा जाहिर की है विषय-वस्तु में कवर हो रहे हैं या नहीं। यदि प्रशिक्षण के उद्देश्य से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण विषय छूट रहा हो तो उसे शामिल करें और जो विषय प्रशिक्षण के उद्देश्य से अलग हों उनके बारे में प्रतिभागियों को स्पष्ट बता दें।

सत्र समेकन

प्रतिभागियों द्वारा पानी की स्थिति में जो बदलाव बताए हैं उनको और अधिक गहराई से समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर चर्चा करें :-

- पानी की स्थिति में बदलाव या कमी के पीछे क्या कारण है?
- कहीं-कहीं बारिश ज्यादा होने लगी है , बाद असमय होने लगी है?
- आपने पिछले कुछ वर्षों में बारिश या मौसम की पद्धति में क्या बदलाव पाया है ?
- पानी की समस्या परिवार और समाज में किसे सबसे अधिक प्रभावित करती है?
- पानी की समस्या का रोज के कामों/ आजीविका पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है?
- क्या इस समस्या से बाहर निकल पाना संभव है?
- प्रतिभागियों को अपने गांव/क्षेत्र की सत्य घटनाएँ साझा करने के लिये प्रेरित करें।

प्रशिक्षण के लिए नियम बनाना

- प्रशिक्षण के व्यवस्थित संचालन और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिभागियों की सहभागिता और सहमती से नियम तैयार करें। जैसे – मोबाइल को स्विच ऑफ या म्यूट रखना, समय का ध्यान रखना, प्रशिक्षण कक्ष की स्वच्छता बनाए रखना, एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा बात रखना आदि।
- प्रतिभागियों की सहभागिता से तैयार किए गए नियमों को प्रशिक्षण कक्ष में कहीं ऐसी जगह पर लगा दें, जहां सभी की नजर पड़ती रहे।

प्रथम दिवस, सत्र-2 : जल जीवन मिशन - विशेषतायें, अवसर एवं चुनौतियां

सत्र के उद्देश्य

- जल संबंधी चुनौतियों का सामना करने में जल जीवन मिशन एक अवसर की तरह है, इस बात पर समझ बनाना।
- जल जीवन मिशन की प्रमुख बातों से अवगत कराना।

समयावधि : 1 घन्टा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, जल जीवन मिशन पर वाटरएड द्वारा तैयार फिल्म और सत्र संबंधी पीपीटी।

सत्र संचालन प्रक्रिया

पिछले सत्र में हमने अपने गांव एवं आसपास के क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और समस्याओं, चुनौतियों को समझने का प्रयास किया। इस सत्र को आधा-आधा घन्टे के दो उप सत्रों में बांटा गया है, जिनमें हम निम्न विषयों को समझेंगे -

उप सत्र -1 जल संबंधी चुनौतियां एवं अवसर

उप सत्र –2 जल जीवन मिशन की मुख्य बातें

उप सत्र – 1 : जल संबंधी चुनौतियां एवं अवसर

उप सत्र के संचालन की प्रक्रिया

आइये हम विषय पर केन्द्रित मुस्लीपुर गांव की फिल्म देखते हैं। सभी को फिल्म में बतायी गई बातों को ध्यान पूर्वक देखना और समझना है कि फिल्म में क्या दिखाया गया है। बतायें कि फिल्म की समाप्ति पर इससे जुड़े कुछ प्रश्न आपसे पूछे जायेंगे।

फिल्म प्रदर्शन के बाद एक—एक कर प्रतिभागियों से निम्न प्रश्न करें —

- पानी की समस्या गांव में सर्वाधिक किसे और किस तरह से प्रभावित कर रही थी?
- समस्या के समाधान के लिए गांव वालों ने क्या किया?

- नल जल योजना से गांव वालों के जीवन में क्या बदलाव आए?

प्रतिभागियों द्वारा दिये गये तीनों प्रश्नों के जवाबों को अलग-अलग चार्ट पेपर नोट करें। आगे बॉक्स में उपरोक्त तीनों प्रश्नों के संभावित दिए गए हैं, यदि प्रतिभागियों के बताने में कोई महत्वपूर्ण जवाब छूट जाये तो उन्हें साझा कर विषय पर समझ बनायें।

पहला प्रश्न – "पानी की समस्या गांव में सर्वाधिक किसे और किस तरह से प्रभावित कर रही थी?" के संभावित जवाब

- गांव में पानी की गंभीर समस्या थी।
- गांव के कुएं गर्मी में सूख जाते थे।
- हेण्डपंप का पानी नीचे चला गया था जिससे काफी देर चलाने के बाद पानी निकलता था।
- हेण्डपंप पर काफी भीड़ होती थी, लाइन लगाकर पानी मिलता था।
- टैंकर आने का इंतजार करना पड़ता था, भीड़ अधिक होने के कारण समय बर्बाद होता था।
- महिलाओं को काफी दूर से, लगभग 2 कोस से पानी लाना पड़ता था।
- जल स्रोत खुला था, जिसे पशु गंदा कर देते थे जिसकी वजह से बीमारियां होती थी।
- लड़कियां को स्कूल जाने में अक्सर देरी हो जाती थी।
- पानी लाने के कारण बच्चों को खेलने-कूदने का समय नहीं मिलता था।
- दूर से पानी लाने में रास्ते में जहरीले जीवों के काटने का खतरा था।
- लोगों को काम/रोजगार पर जाने में देरी हो जाती थी।
- दूसरे गांव के लोग इस गांव में अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहते थे। आदि प्रमुख है।

दूसरा प्रश्न – "समस्या के समाधान के लिए गांव वालों ने क्या किया" के संभावित जवाब

- सभी लोगों ने मिलकर गांव में चौपाल लगाई।
- पाइपलाइन कहां से जायेगी, टंकी कहां लगेगी, कौन सा जल स्रोत अच्छा रहेगा आदि विषयों पर आपस में चर्चा कर योजना बनाई।
- सभी ने क्षमता अनुसार नगद एवं श्रम दान कर नल जल योजना के अंशदान की राशि जमा की।
- जब काम हो रहा था तो गांव के लोगों के द्वारा निगरानी भी की जाती रही।
- गांव वालों की लगन को देखते हुए पीएचई विभाग ने भी हर संभव मदद दी।

तीसरा प्रश्न - नल जल योजना से गांव वालों के जीवन में क्या बदलाव आए के संभावित जवाब

- सभी घरों में नल से शुद्ध एवं पर्याप्त पानी मिलने लगा।
- अब महिलाओं को पानी के लिये परेशान नहीं होना पड़ रहा था।
- बच्चियां समय पर स्कूल जाने लगीं और नियमित पढ़ाई करने लगीं।
- बच्चों को खेलने-कूदने के लिये भी पर्याप्त समय मिलने लगा।
- रोजगार एवं नौकरी/मजदूरी के काम समय पर होने लगे।
- सभी लोग जल समस्या से छुटकारा पाकर बहुत खुश थे।
- दूषित जल के कारण होने वाली बीमारियां भी खत्म हो गईं।

सत्र समेकन

बताये कि इस उप सत्र में हमने जाना कि पेयजल की कमी से लोगों को किस प्रकार परेशानी उठानी पड़ती है और रोजमर्रा के काम के साथ-साथ परिवार, समाज और गांव के विकास पर भी इसका असर पड़ता है।

- बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, उनकी पढ़ाई छूट जाती है।
- बच्चियों को खेलने—कूदने का समय नहीं मिल पाता।
- लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कई प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं।
- समय बर्बाद होता है, घर के सभी सदस्य पानी लाने के काम में ही व्यस्त रहते हैं जिससे अन्य काम एवं रोजगार प्रभावित होता है।
- पानी लाने के रास्ते में जीव जंतुओं के काटने का खतरा बना रहता है।
- गर्भवती और बुजुर्ग महिलाओं को पानी लाने में दिक्कतें होती हैं।
- समय पर खाना नहीं बन पाता जिससे काम धंधे पर असर पड़ता है।

कहें— सभी को स्वच्छ एवं नियमित पानी मिले इसके लिये आवश्यक है कि गांव की अच्छी योजना बने। यह तभी संभव है जब योजना बनाने और इसे लागू कराने में पूरे गांव की भागीदारी हो। आपने फिल्म में देखा कि सुखीपुर गांव के सभी लोग पानी की समस्या के समाधान के लिये किस प्रकार एकजुट हुए, उन्होंने गांव का नक्शा बनाया एवं अपने गांव की विस्तृत योजना तैयार की, श्रमदान दिया, काम गुणवत्ता पूर्ण हो इसके लिए काम की निगरानी की जिससे घर-घर पानी पहुंचा और पूरा गांव खुशहाल हुआ। पानी की समस्या के चलते सुखीपुर गांव का नाम जहां सूखापुर पड़ गया था, गांव के नाम के अनुरूप फिर से लोग सुख का जीवन जीने लगे।

उप सत्र – 2 : जल जीवन मिशन की मुख्य बातें

उप सत्र के संचालन की प्रक्रिया

प्रश्न करें– जल जीवन मिशन की प्रमुख बातें क्या–क्या है? प्रतिभागियों के जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करें एवं सही जवाबों को दोहरायें।

- संलग्न **पीपीटी (पहला दिन, सत्र–2, जल जीवन मिशन के बारे में)** का उपयोग कर प्रमुख बातों को स्पष्ट करें या नीचे दी गई संदर्भ सामग्री का उपयोग कर जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी प्रदान करें।

सत्र समेकन

जल जीवन के बारे में दी गई जानकारियों का पुन: स्मरण कराने के लिये, प्रतिभागियों से पूछें कि जल जीवन मिशन के बारे में क्या-क्या प्रमुख बातें बतायी गई, एक-एक कर बतायें। एक प्रतिभागी को केवल एक बात बताने का अवसर दें ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागियों को अवसर मिल सके। प्रतिभागियों के बताने में यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो अन्य प्रतिभागियों को उसमें जोड़ने के लिए कहें, यदि अन्य प्रतिभागी भी न बता पायें तो प्रशिक्षक स्वयं उस बात को पुन: स्पष्ट करें।

संदर्भ सामग्री

- **जल जीवन मिशन का विज़न/स्वप्न** - प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल के माध्यम से नियमित पर्याप्त एवं गुणवत्तायुक्त पेयजल आपूर्ति करना।
- **जल किसे मिलेगा** - प्रत्येक ग्रामीण परिवार को।
- **कितना पानी मिलेगा** - 55 लीटर प्रति सदस्य प्रतिदिन।
- **पानी कैसे मिलेगा** - एकल ग्राम एवं बहुग्राम योजना के माध्यम से। एकल ग्राम योजना उन ग्रामों में होगी जहां जलापूर्ति हेतु आवश्यक एवं उचित जलस्रोत मौजूद है। ऐसे ग्राम जहां उचित जल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं उनका समूह बनाकर बहुग्राम योजना में शामिल कर जलापूर्ति की जायेगी। योजना लागत को कम करने के लिए पहले से मौजूद जल स्रोतों को प्राथमिकता दी जायेगी।

- **जल आपूर्ति की योजना कौन बनायेगा -** ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा समुदाय मिलकर अपने जरूरत के अनुसार जलापूर्ति की योजना बनायेंगे।
- **धनराशि -** केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर गांव को धनराशि देंगे। गांव वालो को कुल लागत की 5 से 10 प्रतिशत राशि सामुदायिक अंशदान के रूप में लगानी होगी। जिन ग्रामों में अजा/अजजा की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है वहा अंशदान की राशि 5 प्रतिशत एवं अन्य ग्रामों में 10 प्रतिशत राशि देनी होगी।
- **नल जल योजना की निगरानी -** ग्राम में नल जल योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन की निगरानी पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति करेगी।
- **योजना का संचालन एवं रखरखाव -** ग्राम पंचायत, ग्रामसभा एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति करेगी।
- **नल कनेक्शन कहा लगेगा -** घर के अंदर/ आंगन में नल कनेक्शन दिया जायेगा।
- **जल स्रोत का चयन -** हर गांव में कम से कम दो ऐसे जल स्रोतों का चयन किया जायेगा जो सभी परिवारों को नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति कर सके। ये जल स्रोत — नदी, बोरवेल, कुप, बावड़ी, बांध, नहर, तालाब आदि हो सकते हैं।
- **जल वितरण कैसे होगा -**
    - **सीधा जल वितरण -** छोटे गांवों में सीधे जल स्रोत से पानी खींचकर सभी घरों तक पहुचाया जायेगा।
    - **सम्प -** मध्यम आबादी वाले गांवों में स्रोत से पानी खींचकर सम्पवेल में स्टोर किया जायेगा। सम्प में पानी फिल्टर होगा। इसके बाद हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से वितरित किया जायेगा।
    - **ओवरहेड टैंक -** बड़े गांवो में उपयुक्त स्थान का चयन कर ओवरहेड टैंक बनाया जायेगा। स्रोत से पानी खींच कर पहले जल शोधन प्लांट में भेजकर शुद्धिकरण किया जायेगा, इसके बाद ओवरहेड टैंक में भरकर गांव में वितरण किया जायेगा।
- **वर्षा जल संचयन -** पंचायत एवं ग्रामसभा द्वारा ग्राम में वर्षा जल का संचयन किया जायेगा ताकि पानी की मांग और उपलब्धता में कोई कमी न हो।
- **ग्रे-वाटर प्रबंधन –** घर-घर नल कनेक्शन होने से गंदे पानी की मात्रा भी बढ़ेगी, इसके प्रबंधन के लिए आवश्यक अधोसंरचनाओं का निर्माण कर गंदे पानी/ ग्रे-वाटर का प्रबंधन किया जायेगा।
- **जल स्रोतों का स्थायित्व -** जल स्रोतों में जल की कमी न हो इसके लिये पंचायत एवं ग्रामसभा द्वारा जल स्रोतों के स्थायित्व के काम कराये जायेंगे।
- **ग्रामीण संस्थानों में नल कनेक्शन -** स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आरोग्य केन्द्रों और सामुदायिक भवनों में भी कार्यात्मक नल कनेक्शन दिये जायेंगे।

- **जल परीक्षण -** वितरित किये जाने वाले जल की शुद्धता की जांच के लिये वर्ष में कम से कम दो बार, बरसात से पहले और बरसात के बाद जल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता जांच की जायेगी। इसके लिए 5 सदस्यीय महिलाओं के दल को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- **मासिक जल कर-** ग्राम सभा में चर्चा कर मासिक खर्च के आधार पर प्रति परिवार मासिक जल कर की राशि तय की जायेगी। ग्राम सभा चाहे तो गरीब परिवारों को जल कर में छूट या रियायत दे सकती है।

जल जीवन मिशन- कार्यान्वयन ढांचा

ग्राम पंचायत	ग्राम सभा	जल एवं स्वच्छता समिति
• ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में नल जल योजना के लिये आवश्यक पहल, ग्राम सभाओं का आयोजन, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन, योजना की निगरानी।	• ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन, योजना का अनुमोदन, कर निर्धारण एवं संकलन के नियम बनाना, जल वितरण के नियम बनाना, योजना की प्रगति एवं आय-व्यय की समीक्षा आदि।	• ग्राम योजना निर्माण, सामुदायिक संगठन, पेयजल संपत्ति का रिकार्ड रखना, निर्माण कार्य की निगरानी, प्रबंधन, नियमित संचालन एवं रखरखाव, नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण आदि।

प्रथम दिवस, सत्र-3 : नल जल योजना में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी का महत्व

सत्र के उद्देश्य

- नल जल योजना से पानी की सतत उपलब्धता बनाये रखने के लिये सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर समझ बनाना।

समयावधि : 1 घन्टा 30 मिनिट

आवश्यक सामग्री : केस स्टेडी – ग्राम वंशीपुर में पानी की स्थिति

सत्र संचालन प्रक्रिया

- इस सत्र में एक केस स्टेडी के माध्यम से इस बात पर समझ बनायी जायेगी कि समुदाय का जुड़ाव ना होने की वजह से गांव की नल जल योजना ठीक से नहीं चल पायी एवं पानी की स्थिति भी खराब हो गई।
- प्रतिभागियों को 3 समूह में बांटें और आगे दी गई केस स्टेडी की कॉपी प्रदान करें। समूहों को केस स्टेडी पर आपस में चर्चा कर निम्न प्रश्नो के उत्तर खोजने के लिये कहें –

समूह-1 : गांव में नल जल योजना के हितभागी कौन-कौन है और वे कैसे प्रभावित हो रहे है?

समूह-2 : लोगों के जुड़ाव से संबंधित क्या कठिनाईयां देख रहे है, अगर जुड़ाव होता तो क्या होता?

समूह-3 : अगर फिर से नई योजना लगानी हो तो उसमें सामुदायिक भागीदारी कब-कब आवश्यक है?

प्रत्येक समूह को दिए गए प्रश्नों पर बारी-बारी से अपना प्रस्तुतिकरण देने के लिये आमंत्रित करें।

सत्र समेकन

समूहों के प्रस्तुतिकरण के उपरांत चर्चा को निम्न चार बिंदुओं पर केन्द्रित कर हितभागियों की पहचान और विश्लेषण करायें -

- ऐसे हितधारक जिनका महत्व और प्रभाव दोनों अधिक है, कौन है?
- ऐसे हितधारक जिनका महत्व अधिक है लेकिन उनका प्रभाव कम है, कौन है??
- ऐसे हितधारक जिनका महत्व कम है लेकिन उनका प्रभाव अधिक है, कौन है?
- ऐसे हितधारक जिनका महत्व और प्रभाव दोनों कम है, कौन है?

प्रतिभागियों को बतायें कि नल जल योजना में गरीब, वंचित, आदिवासी और महिलायें सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं लेकिन इनका प्रभाव कम हो सकता है। इसके लिए इनकी क्षमतावृद्धि के साथ-साथ इन्हें संगठित कर ग्राम सभाओं में इनकी आवाज को बुलन्द करना होगा।

केस स्टडी – ग्राम वंशीपुर में पानी की स्थिति

ग्राम वंशीपुर मध्य प्रदेश में स्थित एक छोटा सा गांव है। गांव में 5 बसाहटे है जिनमें कुल 280 परिवार रहते हैं और गांव की कुल आबादी लगभग 1500 के आसपास है। मध्य प्रदेश के अन्य गांवों की तरह वंशीपुर गांव भी कृषि प्रधान है। जहाँ लगभग 90 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं दुग्ध व्यापार पर आश्रित हैं। 20 प्रतिशत लोग सामान्य मजदूर हैं एवं बाकी लोग निजी व्यवसाय ओर सेवाओं से जुड़े हैं। गांव में 3 स्कूल, 2 आंगनवाड़ी केन्द्र, 1 पंचायत भवन स्थापित है। गांव के ज्यादातर घर पक्के हैं एवं इसी साल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 12 नए घर स्वीकृत हुए हैं।

गांव की सामान्य जानकारी

बसाहट की जानकारी	परिवार संख्या	सरकारी भवन / भौगोलिक स्थिति	पशुधन
पहली बसाहट मिश्रित जनसंख्या ठाकुर, बनिया एवं ब्राम्हण परिवार	80	1 प्राथमिक स्कूल, 1 मिडिल स्कूल, 1 आंगनवाड़ी	300 गाय/भैंस
दूसरी बसाहट – अधिकतर बनिया,आदिवासी व दलित परिवार	40	टीले पर बसा है, यहां कोई सरकारी भवन नहीं है	10 गाय/भैंस एवं 80 मुर्गी एवं बकरी
तीसरी बसाहट- दलित परिवार	20	गांव की मुख्य बसाहट से दूर बसा है	110 मुर्गी एवं बकरी
चौथी बसाहट - ठाकुर, एवं ब्राम्हण परिवार	70	1 पंचायत भवन	70 गाय/भैंस
पांचवी बसाहट – मिश्रित आबादी	60 परिवार	1 प्राथमिक स्कूल, 1 आंगनवाड़ी	80 गाय/भैंस एवं 70 मुर्गी एवं बकरी

वैसे तो पांचों बसाहटें एक दूसरे से आधा पौन किमी दूरी पर स्थित है। लेकिन तीसरी बसाहट जिसमें 20 दलित परिवार रहते हैं मुख्य गांव से सबसे दूर है। गांव की एक दूसरी बसाहट जिसमें करीब 40 परिवार रहते हैं थोड़ी ऊंचाई पर होने के कारण यहां अधिकतर समय पानी की कमी बनी रहती है।

गांव में पानी की आवश्यकतायें

गांव में पानी की खपत मुख्यतः कृषि, पशुपालन तथा घरेलू उपयोग में होती है। गांव की कुल आबादी 1500 है गांव का खेती का रकबा लगभग 2200 एकड़ में फैला है। जिसमें से 1600 एकड़ भूमि सिंचित है और 600 एकड़ असिंचित है। किसान मुख्यतः खरीफ में सोयाबीन और रबी में गेहूं एवं चना (800 एकड़ में गेहूं और 800 एकड़ में चना) लगाते है। गर्मियों में पानी नहीं रहने की वजह से लोग कोई फसल नहीं लगा पाते।

गांव की दो बसाहटें जो गांव के केन्द्र में है यहां बड़ी संख्या में दूध के लिये पशुपालन होता है। गांव में कुल गाय, बैल, भैंस की संख्या 450 है और छोटे पशु 260 (भेड़ बकरी -160 और मुर्गी आदि – 100) है। ज्यादातर गाय-भैंस गांव के समृद्ध परिवार, जो गांव की घनी बसाहट में रहते हैं उनके पास है। बकरी व मुर्गी अधिकतर दलित, आदिवासी व कुछ बनिया परिवारों के द्वारा पाली जा रही है।

गांव में अब तक की पानी की व्यवस्था

गांव में औसतन 700 मिमी बारिश होती है। गांव में एक पुरानी एक नलजल योजना लगी हुई है, जो पिछले चार सालों से लगभग बंद है। यह योजना करीब 10 साल पहले किसी सरकारी योजना के अंतर्गत लगायी गयी थी। धीरे-धीरे जलस्तर कम होने के कारण यह कम पानी देने लगी और गर्मी के 3-4 महीने लगभग सूखी रहती है। योजना लगने के 2-3 साल बाद ही पाइपलाइन में टूट-फूट होने लगी और मरम्मत की जरूरत पड़ने लगी। पिछले 9 सालों में पंचायत द्वारा 3-4 बार मोटर की मरम्मत भी करायी गई। मोहल्ले में जाने वाले ट्रेक्टरों से पानी की पाइपलाइन कई बार टूट जाती थी। बार-बार मरम्त कराने में पंचायत असमर्थ थी। गिरते जल स्तर के चलते पंचायत ने अब मरम्मत कराना बंद कर दिया है। अब इस बंद पड़ी योजना को इसी वर्ष रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत लिया गया है। दस साल पहले जब यह योजना प्रारंभ हुई थी तो शुरू की पहली दो बसाहटों में पर्याप्त पानी मिल जाता था। जहां पर छोटी पानी की टंकी में पानी भरकर पानी की व्यवस्था की गई थी।

गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग के लिये नल जल योजना का काम जनवरी 2022 में शुरू हुआ है। नल जल योजना के अंतर्गत एक लाख लीटर की नई टंकी बनाई गई है। टंकी को भरने के लिए दो नए बोरवेल (एक 800 फिट गहरा एवं दूसरा 1000 फिट गहरा) भी बनाये गए है। टंकी से पाइपलाइन के माध्यम से नल कनेक्शन दिए गए है। तीसरी बसाहट जिसमें 20 परिवार है यह नल जल कनेक्शन से छूट गई है। जबकि या

रोजगार सहायक प्रेम या पानी की मोटर चलाकर पानी की टंकी को भरते है। कई बार पीछे के मोहल्लों में पानी पूरी तरह नहीं पहुँच पा रहा है. ऊपर का मोहल्ला जिसमें 40 परिवार रहते हैं वहां पर कभी-कभी पानी आता है. वहां के लोग अक्सर सरपंच से शिकायत कर चुके है कि उनके यहां नल कनेक्शन तो है लेकिन पानी नहीं आता। पहले की दो बसाहटें इस व्यवस्था से बहुत प्रसन्न है। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना आया पानी की कमी होने लगी. अब पानी बहुत कम देर के लिये एवं मोटर रोक-रोक कर चलाने पर ही पानी आता है। पंचायत एवं समुदाय सभी चिंतित है कि पानी की उपलब्धता को कैसे बढ़ाया जाये। पानी की कमी के कारण 2 सार्वजनिक कुओं और चालू हेण्डपप से ही पूरे गांव के लोग पानी ले रहे हैं।

गांव में 2 तालाब है, जो पहली और पांचवी बसाहट में है। तालाबों की औसत लम्बाई 10 मीटर और औसत चौड़ाई 12 मीटर तथा औसत ऊंचाई 3 मीटर है। पांचवी बसाहट वाले तालाब की पाल टूट गयी है एवं उसकी मरम्मत की जरूरत है उसके अंदर मिट्टी और गाद भर गयी है. जिससे तालाब में कम पानी ठहरता है। इसके अलावा तालाब में पानी आने के रास्ते में सड़क, बसाहटें आने की वजह से पूरा पानी तालाब में नहीं आ पाता और यह पानी बसाहटों में भर जाता है। दूसरा तालाब गांव के अंदरूनी भाग में पहली बसाहट में है. इस तालाब का उपयोग अधिकतर निस्तार और पशुओं को पानी पिलाने के लिये होता है लेकिन गर्मी के समय यह तालाब भी सूख जाता है।

गांव में कुल 4 सार्वजनिक कुंए और 14 निजी कुंए हैं. इनमें से तालाब के पास वाले 2 कुओं में साल भर पानी रहता है जिससे पहले लगभग आधा गांव पानी लिया करता था। कुओं की औसत त्रिज्या 2 मीटर और औसत गहराई 12 मीटर है। लेकिन नल जल योजना के आ जाने से इन कुओं का उपयोग बंद कर दिया गया और इसमें लोग कचरा फेंकने लगे। एक कुआं पंचायत के ठीक सामने गांव के बीचों बीच स्थित है. आज से तीन साल पहले

तक इसमें पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में पानी रहता था लेकिन अब कुंए के ऊपर का घेरा टूट गया है और गाद जमने के वजह से कम पानी जमा होता है और इसमें भी लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। कुंए को सुधारकर साफ पानी देने योग्य बनाये जाने की संभावना है। गांव वालों का सुझाव है कि इस कुंए की मरम्मत हो जाये तो गर्मियों में पानी के लिये उपयोग किया जा सकता है लेकिन उसमें गंदगी निरंतर बढ़ती जा रही है। चौथा कुआ गांव से गुजरते बरसाती नाले पर स्थित डेम के पास है. इसमें भी पूरे वर्ष पानी रहता है जिसके पानी से पंचायत गर्मियों में टैंकर के माध्यम से गांव में पानी का इंतजाम करती है. लेकिन इस कुंए से पूरे गांव को पानी की आपूर्ति नहीं की जा सकती है। डेम की लम्बाई 600 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है।

गांव के 21 हेन्डपंपों में से 4-5 हेण्डपम्प सूखे एवं टूटे पड़े हैं जिनका बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। बाकी 16-17 हेण्डपम्पों में से सिर्फ 2 हेण्डपम्प ऐसे हैं जिनसे 12 माह पानी मिलता है. अन्य हेण्डपम्प साल में 6 से 8 महीने ही पानी देते है। स्कूल और आंगनवाडी वाले हेण्डपम्पों के आसपास कभी किसी योजना के तहत सोख्ता गडढा बनाया गया था वह पूरी तरह भर गया है एवं टूट गया है। ऊपर की छोटी बसाहट जिसमें 20 परिवार रहते है वहां 2 हेन्डपंप है. 1 हेन्डपंप में 6-8 महीने पानी मिलता है जिससे उस बसाहट के लोग पानी लेते है। दूसरे हेण्डपम्प को पीएचई विभाग ने बंद कर दिया गया है. उनका कहना है कि इस हेन्डपंप में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है।

2018 में किसी संस्था के द्वारा स्कूल एवं आंगनवाडी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया था. इसके बाद से स्कूल के हेन्डपंप में गर्मी के दो महीने छोड़कर पूरे साल पानी रहता है। उसी संस्था ने 2 सार्वजनिक हेन्डपंप पर मॉडल के रूप में सोख्ता गड्ढे भी बनवाये थे, लेकिन सोख्ता गड्ढे अब बेकार हो गये है उनमें गंदा पानी भर जाता है और रिसता रहता है। स्कूल के प्राध्यापक एक जिम्मेदार व्यक्ति है वह छत से बनाये गये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मरम्मत और निगरानी पर ध्यान देते हैं इसलिये स्कूल की व्यवस्था चल रही है और वहां का हेन्डपंप भी रिचार्ज होकर लगभग 10 माह पानी दे रहा है।

संदर्भ सामग्री

इस जुड़ाव या सहभागिता की प्रक्रिया को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है

1. **सभी प्रकार के हितभागियों की पहचान** - दूर मोहल्लों में रहने वाले, अलग-अलग जाति एवं समुदाय के लोग, अलग-अलग तरह की आजीविका में लगे लोग। नल जल योजना से जुड़े हुये अलग-अलग विभाग जैसे पीएचई, ठेकेदार और पंचायत प्रतिनिधि आदि की सहभागिता आवश्यक है। कौन से हितभागी अधिकतर छूट जाते हैं और छूटे हुये ये हितभागी योजना पर कैसे अपना प्रभाव डालते हैं।

2. **समुदाय को कब-कब जोड़ने की आवश्यता है** - नल जल योजना का काम

शुरू होने से पहले, काम के दौरान एवं काम पूर्ण होने के बाद उसके रखरखाव में, तीनों ही स्टेज पर समुदाय की सहभागिता जरूरी है।

3. **सहभागिता हासिल करने के कुछ व्यवस्थित तरीके**- समुदाय की सहभागिता से सामाजिक व संसाधन मानचित्र बनाना, ट्रांजेक्ट वाक, समूह चर्चा, ग्रामसभा का आयोजन इत्यादि। इन सभी तरीकों को उद्देश्य के अनुसार समय-समय पर प्रयोग करने से, लोगों में समस्या के प्रति एक साझा समझ बनती है। वह समस्याओं का समाधान भी निकालते हैं एवं समाधान के प्रति उत्तरदायी भी रहते हैं।

ऊपर दिये हुये तीनो विषयों पर चर्चा करते समय प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करे एवं नीचे दिये बिन्दुओं को साझा करे।

हितभागी (स्टेकहोल्डर) कौन है?

- पीएचई विभाग/ठेकेदार के अलावा, दूर ऊंचाई पर, टीले पर रहने वाले मोहल्ले के लोग, घरेलू पानी से संबंधित रोजगार करने वाले लोग जैसे- डेयरी, मुर्गीपालन, बकरीपालन करने वाले लोग। स्वयं सहायता समूह, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति आदि।
- घरेलू पानी का संबंध महिलाओं से अधिक होता है इसलिये महिला यहां प्रमुख हितभागी है।
- अन्य हितभागी यदि गांव में कोई है।

हितभागियों को जोड़ना क्यों आवश्यक है?

- मोहल्लों में अगर पानी नहीं पहुंचता, तो वे व्यवस्था को चलाने में सहयोग नहीं करते।
- गाड़ी, लाठी इत्यादि से पाइपलाइन तोड़ भी सकते हैं।
- जिन मोहल्लों में कम या अपर्याप्त पानी मिलेगा वहां के लोग कुछ दिनों बाद जल कर देना बंद कर देंगे।
- यदि सभी लोग सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे तो पानी की बर्बादी होगी।
- धीरे-धीरे जमीन का पानी भी खत्म हो जायेगा।

भागीदारी कब- कब आवश्यक है।

योजना बनाने के समय	योजना के क्रियान्वयन में	योजना के संचालन व स्थायित्व में
• सभी मोहल्लों में आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध हो। • पाइपलाइन में वाल्व के उचित स्थान तय करना ताकि सभी को प्रेशर के साथ पानी मिले एवं टूट फूट कम हो। • बोरवेल हेतु सही स्थान चयन एवं स्रोत का ढाँचा व रखरखाव हो। • ग्राम कार्य योजना एवं सही डीपीआर का निर्माण।	• निर्धारित मापदंडों एवं उचित सामग्री के अनुसार योजना लागू हो। • यह देखना कि आवश्यकतानुसार और तय नियमों के अनुसार प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन दिया जा रहा है। • ठेकेदार एवं विभाग को लगातार सहयोग करना ताकि काम शीघ्रता से एवं कम खर्च में हो सके। • खर्च की निगरानी करना।	• पंचायत की सुपुर्दगी से पहले यह सुनिश्चित हो कि योजना तकनीकी रूप से सही है। • लोगों की सहमति से योग्य व्यक्ति को पंप ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर उसे नियमित मानदेय देना। • लोगों की भागीदारी से योजना संचालन के नियम बनाना एवं सख्ती से लागू करना। • योजना की निगरानी एवं पानी की फिजूल खर्ची को रोकने के लिये आम जनता को शामिल करना। • गांव में जल की उपलब्धता बनी रहे इसके लिये सामूहिक प्रयास करना जैसे बोर रिचार्जिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, खेती में पानी की बचत करना।

योजना निर्माण के समय सहभागिता प्राप्त करने के कुछ व्यवस्थित तरीके

सामाजिक मानचित्र

उद्देश्य के अनुसार, समुदाय के साथ मिलकर एक ऐसा नक्शा बनाना, जिसमें गांव के लोग विभिन्न बसाहटों में पानी की आवश्यकता को एक नक्शे पर साधारण तरीके से दर्शा सके। पानी की आवश्यकता को भी कुल परिवारों की संख्या, कुल पशुओं की संख्या के आधार पर नक्शे पर दर्शाएं। सभी की भागीदारी होने से यह समझ में आता है कि कहीं कुछ लोग छूट तो नहीं रहे हैं या कोई बसाहट ऐसी तो नहीं है जहां पानी का कोई अच्छा स्रोत ही नहीं है या फिर कहीं लोग पानी का दुरूपयोग तो नहीं कर रहे हैं।

जब साथ मिलकर सभी लोग एक साथ मुद्दों पर सोच विचार करते है, तब वे समस्याओं के बेहतर व उपयुक्त समाधान निकालते हैं एवं अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते है।

संसाधन मानचित्र

संसाधन मानचित्र के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता को साधारण तरीके से नक्शे पर दर्शाया जाता है। जल जीवन मिशन के दृष्टिकोण से संसाधन मानचित्र में हेण्डपम्प, कुआ, तालाब, नदी, नल जल योजना आदि की उपलब्धता, उपयोग एवं गुणवत्ता को इस मानचित्र में दिखाया जा सकता है।

यह आवश्यक है कि इस विधि को संक्षेप में पूरा करे, ताकि लोगों का सक्रिय जुड़ाव बना रहे। इसे पानी संबंधित संसाधनों पर ही केन्द्रित रखें जैसे 8 माह चलने वाले हेण्डपम्प, 12 माह चलने वाले कुए आदि का चित्र बनाकर नक्शे पर प्रदर्शित करें।

नोट : सामाजिक/ संसाधन मानचित्र को पानी के उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं पर ही केंद्रित रखें।

ट्रांजेक्ट वाक

साधारण शब्दों में इसे गांव में भ्रमण करना कहते हैं, लेकिन जब यह भ्रमण किसी प्रक्रिया के तहत विशेष उद्देश्य के लिये किया जाये अर्थात कहां पानी बह रहा है, किन मोहल्लों में पानी है किनमें नहीं, कहां पशु अधिक हैं, कहा पर खेती सूखी है, कहां बरसाती नाला है जिस पर चेकडेम बनाने की संभावना है, तो भ्रमण की इस व्यवस्थित प्रक्रिया को ट्रांजेक्ट वाक कहते हैं। ट्रांजेक्ट वाक हमेशा गांव के लोगों के साथ ही करना चाहिए। ट्रांजेक्ट वाक का उद्देश्य सिर्फ अवलोकन ही नहीं बल्कि एक सामूहिक समझ बनाना है। ट्रांजेक्ट वाक के दौरान लोगों से चर्चा करते रहें, जिससे लोग मुद्दों पर संवेदनशील हों, समझ बनायें एवं आगे अनुप्रासित हों।

कई बार जानकारी संकलित करते समय लोग अपने निजी हित के चलते सही जानकारी नहीं देते, ट्रांजेक्ट वाक के दौरान मौके पर जाकर इन जानकारियों को सत्यापित किया जा सकता है। जैसे - कुआ टूटा पड़ा है, तालाब सूख जाता है या उसमें पानी रहता है, आदि।

योजना निर्माण की सहभागी प्रक्रियायें

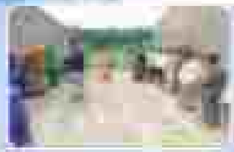

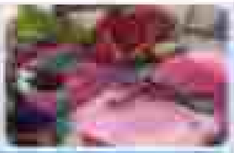
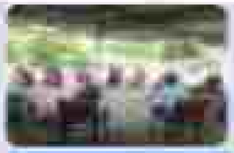

गांव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वाक): गांव भ्रमण करते समय स्थानीय लोगों का होना आवश्यक है इस दौरान सर्वेक्षण दल में तकनीकी जानकार का होना बहुत लाभदायक होता है।

सामाजिक एवं संसाधन मानचित्र: - बसाहट, पेयजल स्रोत, वर्तमान नल जल योजना, गांव में संस्थाएं, गांव में जल संवर्धन संरचनाएं, गंदले पानी का निस्तारण, रोड

वार्षिक मौसमी चार्ट: - इस प्रक्रिया के माध्यम से गांव में विभिन्न मुद्दों पर वार्षिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं पेयजलापूर्ति की स्थिति, भूमिगत जल स्तर, बीमारी, अन्य

समय रेखा: पिछले 50 वर्षों में मुख्य बिन्दुओं पर हुये बदलाव की जानकारी जैसे पेयजल स्रोत में हुआ बदलाव, भूमिगत जलस्तर में हुआ बदलाव, फसल के प्रकार, बुवाई के रकबे, सिंचाई क्षेत्र, सिंचाई के स्रोत, पशुधन, जल जनित बीमारियों का प्रकोप

समूह चर्चा: इस प्रक्रिया का उद्देश्य बसाहट एवं गांव स्तर से प्राथमिक जानकारी एकत्रित करना होता है जैसे, गांव में संस्थाएं, जलापूर्ति की स्थिति, गांव में जल संवर्धन की स्थिति, जल गुणवत्ता की स्थिति

योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के दौरान सहभागिता प्राप्त करने के तरीके

- यदि योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से और गुणवत्ता पूर्ण होगा, तो लोगों को नियमित और पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति संभव हो सकेगी। जिससे लोगों को योजना पर भरोसा कायम होगा।
- क्रियान्वयन के दौरान लोगों के सुझावों को महत्व देने से उनमें स्वामित्व की भावना आती है।
- योजना के संचालन एवं रखरखाव संबंधी नियमों का निर्धारण समुदाय की सहभागिता से होगा तो नियमों को लागू करने में मदद मिलेगी।
- शिकायतों का त्वरित निवारण करने की व्यवस्था होना चाहिये।
- नल जल योजना के आय-व्यय का लेखाजोखा समय-समय पर समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इससे लोगों का विश्वास बढ़ता है।

प्रथम दिवस, सत्र-4 : ग्राम कार्य योजना (वीएपी) निर्माण

सत्र के उद्देश्य

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी हितभागियों की भागीदारी से नल जल योजना की एक अच्छी कार्य योजना बनाने पर समुदाय की तैयारी पर समझ बनाना।

समयावधि : 1 घन्टा 30 मिनिट

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर पेन, केस स्टडी, पीपीटी

सत्र संचालन प्रक्रिया

- सत्र के आरंभ में पीपीटी (**पहला दिन, सत्र—4 वीएपी निर्माण**) के माध्यम से वीएपी के सभी घटकों और निर्माण के चरणों से परिचित करायें। इसके उपरांत जल स्रोत (बोरवेल) से लेकर नल कनेक्शन तक बनायी जाने वाली ड्राइंग को समुदाय के साथ तैयार करना, ताकि विभाग/ठेकेदार के साथ एक अच्छा सामंजस्य स्थापित हो सके। इसके अतिरिक्त मोहल्लेवार पानी की आवश्यकता एवं योजना द्वारा आपूर्ति का भी आकलन हो सके।
- सत्र के प्रारंभ में पिछले सत्र की केस स्टडी में लक्ष्मीपुर गांव के किन-किन मोहल्लों को पानी नहीं मिल रहा था और कहां पर कम प्रेशर के कारण पर्याप्त पानी नहीं मिलता था, इसके क्या कारण थे, जैसे बिन्दुओं पर खुली चर्चा करके ध्यान आकर्षित करायें।
- ग्राम विकास योजना महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि एक आवश्यक दस्तावेज भी है, जिसके आधार पर डीपीआर बनायी जाती है और योजना में लगने वाली लागत निर्धारित की जाती है। अगर यह ठीक प्रकार से नहीं बनायी जाती है तो संभावना है कि कुछ मोहल्ले छूट जायें, किसी कम पानी देने वाले बोर में ही मोटर डाल दी जाये या फिर छोटी टंकी का निर्माण हो जाये आदि। ग्राम कार्य योजना एक विस्तृत दस्तावेज है जिसे साधारणतया आईएसए द्वारा पंचायत एवं समुदाय की सहभागिता से बनाया जाता है। लगभग 50 प्रतिशत गांव की ग्राम कार्य योजना बनकर जेजेएम पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है।
- संस्था के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है कि वह इस ग्राम कार्य योजना को प्राप्त करके लोगों के साथ साझा करें। यदि ग्राम कार्य योजना नहीं बनायी गई है तो लोगों के साथ मिलकर एक विस्तृत कार्ययोजना बना लें जिसे ग्रामसभा में पारित करवा कर जब विभाग का काम आरंभ हो तो विभाग एवं ठेकेदार से साझा करें। पंचायत एवं समुदाय की कार्ययोजना की पहले से तैयारी होगी तो नलजल योजना का क्रियान्वयन बेहतर होगा।

आगे के सत्रों में वीएपी के प्रमुख घटक जिसमें जल स्रोत की पहचान से लेकर नल कनेक्शन, जल सुरक्षा योजना,

पानी की गुणवत्ता, गंदे पानी का प्रबंधन इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया जायेगा। यहां हम वीएपी निर्माण प्रक्रिया की स्थिति अनुसार समुदाय को क्या करने की आवश्यकता है, इस पर बात करेंगे।

वीएपी निर्माण की प्रक्रिया को तीन भागो में देखा जा सकता है :-

पहला - जहां वीएपी बन चुका है और नल जल योजना का काम भी पूरा हो गया है।

- यदि कोई मोहल्ला/घर छूट गये है या कुछ जगह पर पानी कम प्रेशर से आता है या कम समय के लिए आता है, कुछ जगह पर पाइपलाइन में लीकेज है तो वहां छूटे मोहल्लों में पाइपलाइन बिछाने, सभी घरों में प्रेशर के साथ पानी हेतु वाल्व लगाने या पाइपलाइन की मरम्मत आदि के लिए अनुपूरक वीएपी बनाकर ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत ग्राम पंचायत को दें।

दूसरा - जहां वीएपी बन चुका है और नल जल योजना का काम चल रहा है।

- विभाग/ठेकेदार से नक्शा लेकर उसको समुदाय के साथ साझा कर लें। यदि कोई मोहल्ला या घर कार्य योजना में छूट रहा हो तो उसके लिये पूरक वीएपी बनाकर ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत ग्राम पंचायत को दें। पाइपलाइन सही से उचित गहराई में बिछाई जावे, जरूरत अनुसार वाल्व लगाये जावे, घर के अंदर नल कनेक्शन लगे इसकी निगरानी करें।

तीसरा - जहां अभी वीएपी नहीं बना है।

- सभी हितधारकों के साथ दो अच्छे जल स्रोतों की पहचान व चयन, पानी की टंकी का स्थान, कुल नल कनेक्शन की संख्या, वाल्व कहां-कहां लगना है, पाइपलाइन कहां से बिछायी जायेगी, आदि विषयों पर सामूहिक निर्णय के साथ अच्छा और विस्तृत वीएपी बनाया जा सकता है।

नोट : प्रशिक्षक प्रतिभागियों को 3 समूहों में बांटकर वीएपी निर्माण उपरोक्त तीनो स्थितियों में एक-एक स्थिति समूह को देकर समुदाय को क्या करने की आवश्यकता है इस पर समूह चर्चा और प्रस्तुतिकरण करा सकते हैं।

कार्य योजना निर्माण के चरण

वीएपी में दिये गये पानी के स्रोत एवं जल वितरण पाइपलाइन का नक्शा

चूंकि वीएपी का एक मुख्य उद्देश्य पानी के स्रोत से हर घर में नल कनेक्शन का खाका बनाना है, इसलिये इस सत्र में इस बिन्दु पर विस्तार से उल्लेख किया जा रहा है।

पंचायत, पीएचई विभाग/ठेकदार ने यदि कोई इस तरह का नक्शा बनाया है, तो उसे प्राप्त कर लोगों के साथ साझा करके उस पर सामूहिक चर्चा की जा सकती है। अगर कोई बसाहट इस योजना में छूट गयी है तो उसका एक पूरक प्लान बनाकर विभाग को दें, ताकि उस बसाहट को योजना में शामिल किया जा सके।

यदि इस प्रकार का कोई नक्शा एवं डीपीआर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो समुदाय के साथ मिलकर मोहल्ले में ट्रांजेक्ट वाक, सामाजिक मानचित्र बनाकर एक मोटा खाका तैयार करें जिसमें मोहल्लेवार घरों एवं पशुओं की जनसंख्या के आधार पर नल कनेक्शन की संख्या, पाइपलाइन बिछाने के रास्ते एवं वाल्व कहां-कहां पर लगना चाहिए इसका एक मोटा नक्शा तैयार कर सकते हैं। यह एक विस्तृत वीएपी नहीं है, लेकिन नलजल योजना लगाने के लिए बहुत उपयोगी होगा।

वीएपी की समीक्षा में निम्न प्रमुख बातों का ध्यान रखें -

प्रमुख घटक	ध्यान देने योग्य बातें
पानी का स्रोत	कम से कम 2 या अधिक ऐसे स्रोत जिसमें 12 माह पानी रहता है।
पाइपलाइन का बिछाव	सभी मोहल्ले और सभी घरों तक पर्याप्त पानी की उपलब्धता।
	जो मोहल्ले उंचाई पर है और अधिक प्रेशर होने पर ही वहां पानी पहुंचेगा तो उसकी व्यवस्था कैसे बनायी गयी है।
	पाइपलाइन सुरक्षित रास्तों पर है जहां टूट-फूट कम होगी, गहराई पर है एवं नालियों इत्यादि से दूर है।
पशुओं इत्यादि की	जिन मोहल्लों या घरों में पालतू पशु हैं या पानी संबंधित व्यवसाय है वहां पर

आवश्यकता का आंकलन	इस बात को ध्यान में रखते हुए पाइपलाइन बिछाना।
टंकी का निर्माण	अगर घनी बसाहट या बड़ा गांव है तो टंकी का निर्माण होना चाहिए, लगभग कितनी क्षमता की टंकी की जरूरत पड़ेगी और कौन सा स्थान टंकी के लिये सही होगा।
अगर किन्हीं मोहल्लों के जल स्रोतों में फ्लोराइड या अन्य रासायनिक तत्व बहुत अधिक है तो उसके लिये क्या व्यवस्था की गई है उसका वर्णन।	

नियोजन प्रक्रिया के चरण

द्वितीय दिवस

द्वितीय दिवस, सत्र-2 : नल जल योजना की डिजाइन – ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन, जल वितरण लाइन आदि

सत्र के उद्देश्य

नल जल योजना के निर्माण के दौरान बनायी जाने वाली विभिन्न संरचनाओं और अवयवों पर समझ बनाना।

समयावधि : 1 घन्टा 30 मिनिट

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर एवं पीपीटी

सत्र संचालन प्रक्रिया

- प्रतिभागियों को संख्या अनुसार 4-5 समूह में बांटें।
- प्रत्येक समूह को जल स्रोत से लेकर घरेलू कनेक्शन तक बनायी जाने वाली विभिन्न संरचनाओं और अवयवों के फोटो का एक-एक सैट, चार्ट पेपर, चिपकाने के लिए गोंद और मार्कर पेन प्रदान करें। यदि फोटो रंगीन हों तो अच्छा होगा।
- समूहों को दिये गए फोटो सैट को तकनीकी रूप से उचित क्रम में चार्ट पेपर पर चिपकाते हुए नल जल योजना का स्वरूप तैयार करने के लिए कहें। साथ ही मार्कर पेन की मदद से हर एक संरचना एवं अवयव का नाम भी लिखने के लिए कहें।
- समूह कार्य पूर्ण होने पर बारी-बारी से समूहों को प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित करें। प्रस्तुतिकरण के दौरान समूहों को संरचनाओं और अवयवों की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी देने के लिए कहें। प्रस्तुतकर्ता समूह से अन्य समूह के सदस्यों को सवाल पूछने तथा सुझाव देने के लिए समय प्रदान करें।

समूहों के प्रस्तुतिकरण में नल जल योजना से संबंधित जिन संरचनाओं और अवयवों की जानकारी पर स्पष्टता नहीं बन पायी हो **पीपीटी (दूसरा दिन, सत्र-2, नल जल योजना की डिजाइन)** के माध्यम से स्पष्ट करायें।

संदर्भ सामग्री

जल आपूर्ति के आयाम

वर्तमान तथा आगामी 25 साल बाद की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पानी की जरूरत के आंकलन अनुसार जलापूर्ति संबंधी संरचनाओं को डिजायन कर निर्माण कराया जायेगा। जल आपूर्ति के प्रमुख आयाम -

1. जल स्रोत
2. पम्प के प्रकार एवं क्षमतायें
3. राइजिंग मेन पाइपलाइन
4. पम्प हाउस / स्टाटर प्वाइन्ट
5. जल वितरण व्यवस्था
   - स्पॉट सोर्स (सोर्स से घर तक सीधी सप्लाई)
   - स्पॉट सोर्स (सोर्स के पास छोटा टैंक बनाकर सप्लाई)
   - सम्प (जनसंख्या के आधार पर)
   - ओवर हेड टैंक (जनसंख्या के आधार पर)
6. जल वितरण या डिस्ट्रीब्युशन पाइपलाइन
7. चेक वाल्व
8. फेरूल
9. घर के अन्दर नल का कनेक्शन
10. स्टेन्ड पोस्ट एवं टोंटी

1. जल स्रोत

जल जीवन मिशन के लिए मूल रूप से गाँव की सीमा के अन्दर उपलब्ध पानी के स्रोत को जल आपूर्ति के लिए चयन किया जाता है ताकि योजना की लागत को कम किया जा सके।

- योजना बनाने के लिए ग्राम की सीमा के अंदर या आसपास के उपलब्ध पानी के स्रोतों में नदी, कुए, बोरवेल, बावड़ी, तालाब, बांध, नहर आदि हो सकते हैं।
- नल जल योजना के लिये भूमिगत एवं सतही दोनों ही जल स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्तमान में हर घर नल जल योजना में ज्यादातर भूमिगत जल स्रोतों का ही

उपयोग किया जा रहा है।

जल स्रोत का स्थल चयन

- नल जल योजना में दो से अधिक जल स्रोतों का चयन जरूरी है ताकि विकल्प के रूप में जल स्रोत की उपलब्धता एवं जल वितरण की निरन्तरता बनी रहे।
- किसी भी गांव में नल जल योजना के लिए भूमिगत जल स्रोत का उपयोग करना हो तो स्रोत चयन के लिए स्थानीय जानकारों, बुजुर्गों एवं भूजल-वैज्ञानिक (जिओ हाइड्रोलॉजिस्ट) से मदद लेकर सही जल स्रोतों का चयन किया जाना चाहिए और उसकी पूर्ण जानकारी पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए ताकि भविष्य में रखरखाव में आसानी हो।
- जल स्रोतों का चयन करते समय ध्यान रखना होगा कि चयनित स्रोत लम्बे समय तक (कम से कम 30-35 साल) पानी उपलब्ध करा सके।
- **जहां तक संभव हो जल स्रोत का चयन और निर्माण सरकारी जमीन पर ही किया जाना चाहिये।**
- किसी गांव में अगर सरकारी जमीन पर उचित जल स्रोत नहीं मिल पा रहा हो तो निजी जमीन पर भी जल स्रोत का चयन एवं निर्माण कराया जा सकता है।
- यदि जल स्रोत का निर्माण निजी जमीन पर किया जा रहा है तो ग्राम की आम बैठक बुलाकर जमीन के मालिक से अनुमति या सहमति / दान पत्र दोनों पक्षों के दो-तीन गवाहों के हस्ताक्षर के साथ लेना होगा एवं

  उक्त जमीन के परिसीमन को पंचायत के रिकार्ड में भी दर्ज कराना होगा।
- जल स्रोत के उपयोग से पहले जल की गुणवत्ता जांच की जाती है एवं गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के बाद इंजीनियर की सलाह पर जल वितरण के लिये स्रोत को राइजिंग मेन पाइपलाइन से जोड़ा जाता है।
- स्रोतों को राइजिंग मेन पाइपलाइन से या पम्प के साथ जोड़ने के बाद टेस्टिंग कर देखना होगा कि कहीं लीकेज तो नहीं है। लीकेज होने की स्थिति में तत्काल सुधार करना होगा ताकि पानी की बर्बादी न हो, पानी फैलने के कारण गंदगी न हो और पाइपलाइन के अंदर किसी तरह की गंदगी न जा पाये।

2. पम्प के प्रकार एवं क्षमता

पम्प एक मैकेनिकल उपकरण है जो भूमिगत या सतही पानी उठाने के लिए एवं जल स्रोत से पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए उपयोग किये जाते है। पम्प के हार्सपावर (एच.पी.) पर निर्भर करता है कि वह कितनी गहराई से पानी खींच सकता है एवं कितना दूरी तक भेज सकता है।

साधारणतः पम्प बिजली द्वारा संचालित किये जाते हैं, जितने अधिक हार्सपावर का पम्प होगा बिजली का खर्च या

लागत उतनी अधिक होगी।

विभिन्न हार्सपावर के पम्प एवं उनकी क्षमताएं

पम्प	पम्प क्षमता	कितने फेज के बिजली कनेक्शन की आवश्यकता	पम्प के उपयोग के लिये पाइप का आकार	कितनी गहराई से पानी उठाने की क्षमता
	1HP	सिंगल फेज	हेण्डपम्प में लग सकता है (Dia upto 4")	300 फिट तक
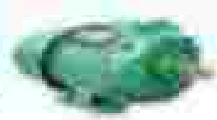	2HP	सिंगल फेज	हेण्डपम्प में लग सकता है (Dia upto 4")	300 फिट तक
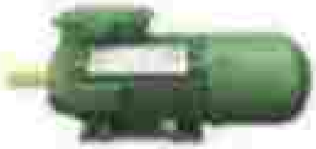	5.0/7.5HP	तीन फेज	6" (इन्च) से अधिक	500 फिट तक
	10 HP	तीन फेज	6" (इन्च) से अधिक	500 फिट से अधिक
	12.5 HP	तीन फेज	6" (इन्च) से अधिक	500 फिट से अधिक

3. राइजिंग मेन पाइपलाइन

- राइजिंग मेन पाइपलाइन उस पाइपलाइन को कहा जाता है जो जल स्रोत से पानी को शुद्धिकरण प्लांट सम्प या जहां पानी संग्रह किया जा रहा है वहां तक ले जाने का काम करती है।
- राइजिंग पाइपलाइन बिछाते समय इस बात की विशेष निगरानी करनी होगी कि यह कम से कम तीन फिट गहराई में डाली जाये।
- राइजिंग पाइपलाइन किसी भी जल जमाव क्षेत्र के पास से या नाली के साथ नहीं बिछायी जानी चाहिए।
- योजना हैण्ड ओवर के पहले टेस्टिंग के समय जांच कर लेना चाहिये कि कहीं राइजिंग पाइपलाइन में किसी प्रकार की लीकेज तो नहीं है।
- राइजिंग पाइपलाइन के लिये 110 मिमी एच.डी.पी. ई. पाइप का उपयोग किया जाता है। (सन्दर्भ-डीपीआर)

4. पम्प हाउस/ स्टार्टर पाइन्ट

पम्प हाउस : पम्प हाउस विभिन्न तकनीकी व बिजली उपकरण को सुरक्षित रखने का स्थान/ घर है, जहां से मुख्य स्रोत से घर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाता है।	स्टार्टर पाइन्ट : विभिन्न बिजली उपकरण संचालित करता है, जैसे – मोटर पम्प, आटोमेशन मीटर आदि।

5. जल वितरण व्यवस्था

- स्पॉट सोर्स (सोर्स से घर तक सीधी सप्लाई)
- स्पॉट सोर्स (सोर्स के पास छोटा टैंक बनाकर सप्लाई)
- सम्प (जनसंख्या के आधार पर)
- ओवर हेड टैंक (जनसंख्या के आधार पर)

स्रोत से सीधा घरों तक सप्लाई

कम आबादी वाले गांव या मुख्य गांव से दूर दराज छोटे टोलों में (वर्तमान में 50 से 100 घर की आबादी) जल स्रोत से पम्प द्वारा पानी लिफ्ट कर सीधे वितरण पाइपलाइन में भेजा जाता है और वितरण पाइपलाइन से दिये गए नल कनेक्शन के माध्यम से पानी घरों में पहुंचता है।

स्रोत से छोटे सामुदायिक वाटर टैंक के द्वारा सप्लाई

- कम आबादी वाले दूर दराज के छोटे टोलों में जल स्रोत के पास एक सामुदायिक टंकी लगाकर पानी की सप्लाई की जाती है।
- स्रोत के पास ही पम्प को चालू करने का स्टार्टर पाइन्ट होता है। संबंधित टोला का कोई जिम्मेदार व्यक्ति ग्राम पंचायत और जल समिति द्वारा निर्धारित समयानुसार पम्प को चलाकर टंकी को भरता है और लोग टंकी से अपनी जरूरत अनुसार पानी भरकर ले जाते हैं।

सम्प से घरों तक सप्लाई

स्रोत से राइजिंग मेन पाइपलाइन द्वारा सम्प तक पानी लाकर शुद्धिकरण के बाद वितरण पाइपलाइन के माध्यम से घरों में पानी की सप्लाई की जाती है।

- सम्प साधारणतः गोलाकार कुआंनुमा कमरा होता है।
- सम्प के साइज/क्षमता का निर्धारण गांव की वर्तमान के साथ-साथ आगामी 25 वर्ष की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि का आकलन कर किया जाता है।
- कम आबादी वाले गांव में सम्प से भी पानी की सीधी सप्लाई की जाती है।
- आबादी की जरूरत के आधार पर विभिन्न क्षमता वाले सम्प में दिन में दो या तीन बार पानी भर कर घरों में

पानी उपलब्ध कराया जाता है।

- सम्प में पानी का शुद्धिकरण कर सीधा घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है।
- साल में कम से कम दो बार सम्प की साफ-सफाई जरूरी है।
- सम्प की सफाई से पहले गांव में सूचना दी जानी चाहिए ताकि लोग जरूरत का पानी भर कर रख सके।

ओवरहेड टैंक से घरों तक सप्लाई

स्रोत से राइजिंग मेन पाइपलाइन द्वारा सम्प तक पानी लाया जाता है। सम्प में क्लोरीनेशन फिल्टर द्वारा पानी का शुद्धिकरण कर ओवरहेड टैंक में भरा जाता है। फिर निर्धारित समयानुसार वितरण पाइपलाइन द्वारा घरों में पानी की सप्लाई की जाती है।

- ओवरहेड टैंक का साइज /क्षमता का निर्धारण गांव की वर्तमान के साथ-साथ आगामी 25 वर्ष की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि के आधार पर किया जाता है।
- ओवरहेड टैंक गांव में ऐसी जगह पर स्थापित किया जाता है जहां से सभी मोहल्लों/ टोलों एवं घरों में उचित प्रेशर के साथ जल आपूर्ति की जा सके।
- जरूरत के अनुसार ओवरहेड टैंक को दिन में दो या तीन बार भर कर जल आपूर्ति की जाती है।
- ओवरहेड टैंक में पानी के ओवर फ्लो को रोकने के लिए पम्प हाउस में ऑटोमेशन मीटर लगाया जाता है।
- ऑटोमेशन मीटर से पानी की आपूर्ति की मात्रा का आकलन भी किया जाता है एवं इसकी निगरानी से जल आपूर्ति में निरन्तरता बनी रहती है।
- ओवरहेड टैंक की कम से कम साल में दो बार साफ-सफाई अवश्य की जानी चाहिये।
- ओवरहेड टैंक की साफ-सफाई के पहले गांव में सूचना दी जानी चाहिए ताकि लोग जरूरत का पानी भर कर रख सकें।

6. जल वितरण या डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन

- डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन स्रोत से सीधा घरों तक, सम्प या ओवरहेड टैंक से घरों तक पानी पहुंचाने के लिये

बिछायी जाती है।

- सभी घरों में उचित प्रेशर से पानी पहुंचे इसके लिये घरों की संख्या के आधार पर जगह-जगह चेक वाल्व लगाये जाते है।

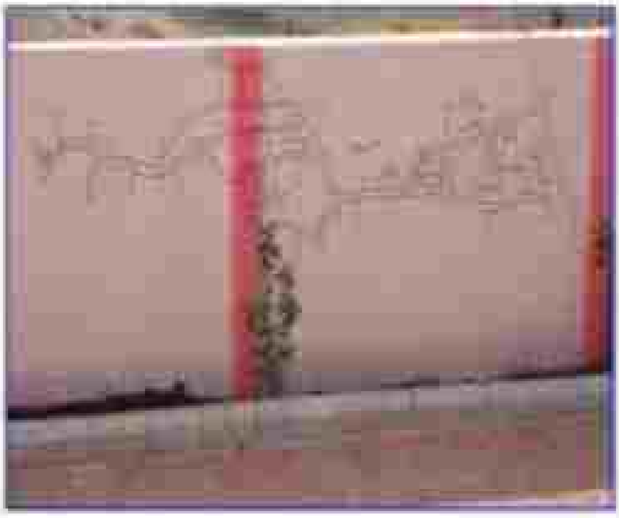

- वितरण पाइपलाइन को जमीन के अंदर 3 फिट गहरी नाली खोद कर बिछाया जाना चाहिए।
- वितरण पाइपलाइन को किसी भी स्थिति में जल जमाव वाले क्षेत्र के पास से या नालियों के साथ नहीं बिछाया जाना चाहिए।
- वितरण पाइपलाइन में फेरूल लगाकर घरों में नल कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।
- सभी घरों में पानी उपलब्ध कराने के लिये इस बात का ध्यान रखना होगा कि वितरण पाइपलाइन गांव की सभी गलियों में अन्तिम छोर के घरों तक बिछायी गई हो ताकि हर घर में नल कनेक्शन दिया जा सके।
- वितरण पाइपलाइन के लिये 90 मिमी के पीवीसी पाइप का उपयोग किया जाता है।(सन्दर्भ: डीपीआर)

7. चेक वाल्व

- सभी घरों में उचित प्रेशर से पानी पहुंचे इसके लिये उचित दूरी या मानक को ध्यान में रखते हुए चेक वाल्व लगाये जाने का प्रावधान है।
- चेक वाल्व लगाने के लिए निर्धारित मानक अनुसार एक चेम्बर बनाया जाता है।
- अगर डिस्ट्रिब्युशन पाइपलाइन समतल जमीन पर बिछाई जा रही है तो एक चेक वाल्व से दूसरे चेक वाल्व के बीच 20 से 35 घरों में उचित प्रेशर के साथ पानी उपलब्ध करायेगा।
- अगर डिस्ट्रिब्युशन पाइपलाइन नीचे से ऊपर जा रही है तो ढलान के अनुरूप एक चेक वाल्व से 10-15 घरों से ज्यादा घरों में कनेक्शन होने पर उचित प्रेशर के साथ पानी पहुंचाने में दिक्कत होगी।

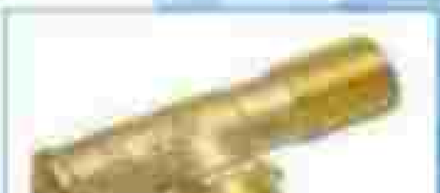

- चेक वाल्व जल जमाव वाली जगह या ढलानी क्षेत्र जहां बरसात का पानी अन्दर जाने की सम्भावना हो या नाली के पास या साथ में नहीं बनाना चाहिए।

8. फेरूल

- डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन से घरों में नल कनेक्शन देने के लिये 1.5 इन्च मानक के पीतल के फेरूल लगाये जाने का प्रावधान है।

- साथ ही इस प्रकार के फेरूल लगाने का प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अधिक पानी लेने के लिये अपने नल कनेक्शन में मोटर लगाता है तो उस घर की पानी सप्लाई ऑटोमेटिक बन्द हो जाये ताकि अन्य घरों में बिना रूकावट के प्रेशर के साथ पानी उपलब्ध हो सके।

9. घर के अन्दर नल कनेक्शन

- डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन सभी गली/मोहल्लों में बिछायी जाती है ताकि हर घर के अन्दर आसानी से नल कनेक्शन दिया जा सके।
- घरेलू कनेक्शन तभी पूर्ण माना जाता है जब घर के अन्दर सही स्थान पर घर वालों की सहमति से स्टेण्ड पोस्ट के साथ टोंटी लगायी गई हो और सही प्रेशर के साथ पानी आता हो।

10. स्टेन्ड पोस्ट एवं टोंटी

- स्टेण्ड पोस्ट ऐसे स्थान पर हो जहां पानी भरने में परिवार को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
- पानी व्यर्थ न बहे और दूसरे घरों में सही प्रेशर के साथ पानी पहुंच सके इसके लिये नल कनेक्शन में टोंटी लगाना बेहद जरूरी है। डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन से घर में दिये जाने वाले कनेक्शन हेतु 20 मिमी के पीवीसी पाइप का उपयोग किया जाता है।(सन्दर्भ- डीपीआर)

द्वितीय दिवस, सत्र-3 : जल सुरक्षा योजना

सत्र के उद्देश्य

- जल सुरक्षा क्या है एवं क्यों जरूरी है?
- जल बजट क्या है? कैसे बनाते हैं? इस पर समझ विकसित करना।
- गांव की जल सुरक्षा योजना कैसे बनायें पर समझ विकसित करना।
- स्रोत स्थायित्व संबंधी गतिविधियों को कार्य योजना में शामिल करने पर समझ विकसित करना।

समयावधि : 2 घन्टा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, केस स्टडी एवं पीपीटी।

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र को निम्नानुसार 3 उप सत्रों और समय में बांटा गया है -

पहला उप सत्र : जल सुरक्षा योजना एवं गांव में जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना – 45 मिनिट

दूसरा उप सत्र : संसाधन मानचित्र एवं गांव में जल की उपलब्धता की गणना – 45 मिनिट

तीसरा उप सत्र : ग्राम की जलापूर्ति एवं मांग के अनुसार जल जल सुरक्षा योजना बनाना – 30 मिनिट

पहला सत्र - जल सुरक्षा योजना एवं गांव में जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना

सत्र संचालन प्रक्रिया

प्रतिभागियों से प्रश्न करें- जल सुरक्षा योजना क्या होती है? प्रतिभागियों के जवाबों को नोट करें। दिये गये जवाबों में से जल सुरक्षा योजना को स्पष्ट करने वाले जवाबों को दोहरायें एवं **पीपीटी (दूसरा दिन, सत्र-3,जल सुरक्षा योजना)** के माध्यम से जल सुरक्षा योजना को स्पष्ट करें।

जल ही जीवन है। गांव में किये जाने वाले विभिन्न कामों के लिये जल की उपलब्धता हेतु बनाई जाने वाली संरचनाओं, उनकी सुरक्षा एवं स्थायित्व के लिये तैयार की जाने वाली योजना को जल सुरक्षा योजना कहा जाता है। इस योजना में मौजूदा जल स्रोतों में उपलब्ध जल को सुरक्षित रखने एवं वर्ष भर की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिये की जाने वाली गतिविधियों का लेखा-जोखा होता है।

जल सुरक्षा योजना के तीन प्रमुख घटक होते है

1. गांव में जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना।
2. गांव में उपलब्ध जल की मात्रा की गणना।
3. आवश्यकता और उपलब्धता के बीच के अंतर का आंकलन कर, अंतर को पाटने के लिये जल संरक्षण एवं जल संवर्धन की गतिविधियां तय करना।

इस सत्र में हम गांव के जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना करना सीखेंगे। इसके लिए प्रतिभागियों को चार से पांच समूहों में बांटे। समूहों को अलग-अलग बैठायें एवं केस स्टडी (वंशीपुर ग्राम) वितरित कर, ध्यान से पढ़ने के लिए कहें।

गांव में मुख्यतः तीन गतिविधियों के लिए पानी की आवश्यकता होती है - घरेलु उपयोग, पशुधन के लिए एवं कृषि कार्य के लिए। प्रतिभागियों को केस स्टडी में दी गई कुल गांव की कुल जनसंख्या, पशुओं (प्रजाति वार) की संख्या एवं खेती (फसल वार) का रकबा निकालने के लिये कहें।

घरेलु उपयोग के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना -

व्यक्तिगत / घरेलु कार्य के लिए एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 55 लीटर पानी लगता है। घरेलु उपयोग के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना निम्न प्रकार से करें -

क्र.	जनसंख्या	प्रतिदिन पानी की आवश्यकता (लीटर)	पानी की वार्षिक आवश्यकता (2x3x4)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	1500	55	3,01,12,500	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आवश्यकता आंकलित है।

(नोट – जनसंख्या वंशीपुर ग्राम (केस स्टडी) की ली गई है।)

गांव की कुल जनसंख्या (1500) X 55 X 365 = 3,01,12,500

वंशीपुर गांव में कुल 1500 लोग रहते हैं। पहले 1500 को 55 से गुणा करें (1500 X 55) जिससे गांव में एक दिन में घरेलु उपयोग के लिए कितने जल की आवश्यकता है निकल जाएगी (82,500 लीटर)। वार्षिक जरूरत निकालने के लिए इसे (82,500) को 365 (1 वर्ष में कुल दिन) से गुणा करें (82500 X 365) जिससे गांव में घरेलु उपयोग के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता निकल जाएगी (3,01,12,500)।

पशुधन के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना -

अलग-अलग पशुओं को प्रतिदिन अलग-अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बड़े पशुओं (गाय / बैल / भैंस) को प्रतिदिन 70 लीटर, छोटे पशुओं (भेड़ / बकरी) को प्रतिदिन 20 लीटर एवं मुर्गा / मुर्गी को प्रतिदिन लगभग 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गांव में पशुधन के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना निम्न प्रकार से करें -

क्र.	पशुधन का प्रकार	कुल संख्या	पानी की आवश्यकता प्रतिदिन प्रति पशु (लीटर)	पशुओं के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता (3x4x365)
1.	2	3	4	5
1	बड़े पशु (गाय / बैल / भैंस)	450	70	1,14,97,500 लीटर
2	छोटे पशु (भेड़ / बकरी)	160	20	11,68,000 लीटर
3	मुर्गा / मुर्गी	100	02	73,000 लीटर
पशुधन के लिए कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता				1,27,38,500 लीटर

(नोट – पशुधन की संख्या वंशीपुर ग्राम (केस स्टडी) की ली गई है।)

पशु की संख्या X (70/20/2 लीटर- पशु के प्रकार के हिसाब से) X 365 = 1,27,38,500 लीटर

वंशीपुर ग्राम में पशुधन के लिए वार्षिक पानी की आवश्यकता :

बड़े पशुओं के लिए - बड़े पशु (गाय/ बैल/ भैंस) की संख्या (450) X 70 X 365 = 1,14,97,500 लीटर

छोटे पशुओं के लिए - छोटे पशु (भेड़ / बकरी) की संख्या (160) X 20 X 365 = 11,68,000 लीटर

मुर्गा / मुर्गी के लिए - मुर्गा / मुर्गी की संख्या (100) X 2 X 365 = 73,000 लीटर

(ऊपर के तीनों प्रकार को जोड़कर पशुधन के लिए कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता निकल जाएगी - 1,14,97,500 + 11,68,000 +73,000 = 1,27,38,500 लीटर)

कृषि के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना :

अलग-अलग फसलों को प्रति एकड़ अलग-अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। गेहूँ के लिए लगभग 8 लाख लीटर प्रति एकड़ एवं चना के लिए 3 लाख लीटर प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। गांव में कृषि के लिए

पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना निम्न प्रकार से करें –

क्र.	फसल की किस्म (रबी)	बोया जाने वाला कुल रकबा (एकड़)	सिंचाई हेतु कुल पानी की दर (लीटर प्रति एकड़)	कुल पानी की आवश्यकता (लीटर) (3x5)
1	2	3	4	5
1	गेहूं	800	8,00,000	64,00,00,000 लीटर
2	चने	800	3,00,000	24,00,00,000 लीटर
कृषि कार्य के लिए आवश्यक पानी				88,00,00,000 लीटर

(नोट – गेहूं एवं चना का रकबा वंशीपुर ग्राम (केस स्टडी) से ली गई है. सभी फसलों की पानी की आवश्यकता अलग - अलग होती है।)

फसल का रकबा X 8 लाख/ 3 लाख (फसल के प्रकार अनुसार) = 88 करोड़ लीटर

गेहूँ के लिए - फसल का रकबा (800 एकड़) X 8,00,000 = 64,00,00,000

चने के लिए - फसल का रकबा (800 एकड़) X 3,00,000 = 24,00,00,000

(ऊपर के दोनों फसलो को जोड़ कर कृषि के लिए कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता निकल जाएगी - 64,00,00,000 + 24,00,00,000 = 88,00,00,000 लीटर)

घरेलु उपयोग, पशुधन एवं कृषि कार्य के लिए आवश्यक पानी को जोड़कर गांव की कुल पानी की आवश्यकता निकल जाएगी **(3,01,12,500 + 1,27,38,500 + 88,00,00,000 = 92,28,51,000)**।

क्र.	पानी की आवश्यकता का प्रकार	कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता
1	घरेलु उपयोग	3,01,12,500
2	पशुधन	1,27,38,500
3	कृषि कार्य	88,00,00,000
गांव में पानी की कुल आवश्यकता		**92,28,51,000**

वंशीपुर ग्राम को पूरे साल में लगभग 92 करोड़ 28 लाख 51 हजार लीटर पानी की आवश्यकता है।

टिप्पणी - प्रशिक्षक पानी की आवश्यकता का आंकलन प्रतिभागियों से भी साथ में करायें और हर एक घटक के हिसाब से पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना बोर्ड या चार्ट पेपर पर लिखते जायें। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी समूह की गणना एक समान आये।

दूसरा सत्र - संसाधन मानचित्र एवं गांव में जल की उपलब्धता की गणना

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र में भी हम पहले सत्र में बनाये गये समूहों में ही काम करेंगे। प्रतिभागियों से प्रश्न करें-संसाधन मानचित्र क्या होता है? प्रतिभागियों के जवाबों को नोट करें। दिये गये जवाबों में से संसाधन मानचित्र को स्पष्ट करने वाले जवाबों को दोहरायें एवं समूह को वंशीपुर ग्राम के बारे में पढ़कर चार्ट पेपर पर गांव का संसाधन मानचित्र बनाने के लिए कहें।

संसाधन मानचित्र में गांव के सभी संसाधनों (जंगल, खेत, तालाब, हैंडपंप, कुआँ, नदी, नाला, पंचायत, स्कूल, आंगनवाड़ी, आदि) गांव के मानचित्र पर दर्शाया जाता है। संसाधन मानचित्र गांव में जल की उपलब्धता की गणना करने और जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों की योजना बनाने में सहायक होता है।

संसाधन मानचित्र बनाने के बाद हम गांव में जल की वार्षिक उपलब्धता की गणना करना सीखेंगे। गांव में मुख्यतः दो जगह से पानी आता है - वर्षा जल एवं गांव में मौजूद समस्त स्रोतों में उपलब्ध पानी, जिसकी जानकारी केस स्टडी में दी गई है। केस स्टेडी से प्रतिभागियों को गांव का कुल रकबा, औसत वर्षा एवं सभी जल स्रोतों की जानकारी (संख्या, लम्बाई, ऊंचाई, चौड़ाई / त्रिज्या) निकालने के लिये कहें।

गांव में वर्षा से उपलब्ध जल की गणना

बरसात में गिरने वाला पानी जल का मुख्य स्रोत होता है। लेकिन औसत वर्षा जल का मात्र 6% जल ही जमीन के अंदर जा पाता है (मिट्टी के प्रकार के अनुसार यह बदल सकता है)। गांव में वर्षा से उपलब्ध पानी की गणना निम्न प्रकार से करें –

गांव का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) X औसत वर्षा (घन मीटर) X (6 /100) X 1000 = 37,39,42,800 लीटर

(क्षेत्रफल को एकड़ से मीटर में लाने के लिए एकड़ में 4047 से गुणा कर दें। वंशीपुर गांव का रकबा 2200 x 4047 = 89,03,400 वर्ग मीटर)

क्र.	विवरण	ग्राम का रकबा (वर्ग मीटर) – एकड़ x 4047	गांव में औसत वर्षा (मीटर)	जमीन में जाने वाला पानी	वर्षा से उपलब्ध पानी (लीटर) (3x4x5)x1000
1	2	3	4	5	6
1	वर्षा से उपलब्ध पानी	89,03,400	0.7	0.6	37,39,42,800

(नोट – यहाँ वर्षा जल की गणना वंशीपुर (केस स्टडी) के हिसाब से की गई है. आप अपने जिले की औसत वर्षा ले सकते है। वर्षा जल का कितना प्रतिशत पानी गांव में रह पाता है, यह भूमि की संरचना पर निर्भर करता है।)

वंशीपुर ग्राम का रकबा 89,03,400 वर्ग मीटर है. इसमें हम गांव की औसत वर्षा (0.7) का गुणा करेंगे फिर उत्तर को 0.06 से गुणा करेंगे तो हमें वर्षा से प्राप्त जल घन मीटर में मिल जायेगा। वर्षा से प्राप्त जल को लीटर में ज्ञात करने के लिए हम उत्तर को 1000 से गुणा करेंगे।

(8903400 X 0.7 X 0.06 X 1000 = 37,39,42,800 लीटर)

ग्राम के समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी की गणना

गांव में मुख्यतः दो प्रकार की संरचना होती है - गोल (कुआँ) एवं चौकोर (तालाब / डैम इत्यादि) जिनमें जल भण्डारण की गणना निम्न प्रकार से की जाती है –

क्र.	स्रोत का प्रकार	संख्या	साइज	कुल भण्डारण क्षमता (लीटर) (3*4*1000)
1	2	3	4	5
1	कुआ	18	3.14 X (कुंए का त्रिज्या X कुंए का त्रिज्या) X कुंए की गहराई (मीटर में)	27,12,960
2	तालाब	2	लम्बाई X चौड़ाई X ऊंचाई (मीटर में)	7,20,000
3	डैम	1	लम्बाई X चौड़ाई X ऊंचाई (मीटर में)	60,00,000
ग्राम स्तर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी				94,32,960

(नोट – गणना को सरल रखने के लिए सभी कुओं / तालाब / डैम की त्रिज्या / लम्बाई/ऊंचाई/चौड़ाई/गहराई एक समान (औसत) ली गई है।)

कुआँ - कुँए की संख्या X 3.14 X (कुँए का त्रिज्या X कुँए का त्रिज्या) X कुँए की गहराई X 1000

वंशीपुर ग्राम में कुल 18 कुए है जिनकी औसत त्रिज्या 2 मीटर है और औसत गहराई 12 मीटर है। गांव में कुल कुए की भण्डारण क्षमता इस प्रकार होगी -

18 X 3.14 X 2 X 2 X 12 X 1000 = 27,12,960 लीटर

डेम / तालाब – डेम / तालाब की संख्या X लम्बाई X चौड़ाई X ऊंचाई (मीटर मे) X 1000

वंशीपुर ग्राम में कुल 2 तालाब हैं जिनकी औसत लम्बाई 10 मीटर, औसत चौड़ाई 12 मीटर औसत ऊंचाई 3 मीटर है। गांव में कुल तालाब की भण्डारण क्षमता इस प्रकार होगी –

2 X 10 X 12 X 3 X 1000 = 7,20,000 लीटर

वंशीपुर ग्राम में 1 डेम भी है जिसकी लम्बाई 600 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। गांव में डेम की भण्डारण क्षमता इस प्रकार होगी -

1 X 600 X 10 X 1 X 1000 = 60,00,000 लीटर

(ऊपर के विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध पानी को जोड़ कर गांव में ग्राम स्तर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी की गणना की जा सकती है - 27,12,960 +7,20,000 + 60,00,000 = 94,32,960 लीटर)

वर्षा जल एवं ग्राम स्तर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी को जोड़कर गांव में कुल पानी की उपलब्धता निकल जाएगी (37,39,42,800 + 94,32,960 = 38,33,75,760)।

क्र.	पानी की उपलब्धता की किस्म	गांव में कुल पानी की उपलब्धता (लीटर)
1	वर्षा से उपलब्ध पानी	37,39,42,800
2	ग्राम स्तर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी	94,39,42,800
गांव में कुल पानी की उपलब्धता		**38,33,75,760**

वंशीपुर ग्राम में पूरे वर्ष में लगभग 38 करोड़ 33 लाख 75 हजार लीटर पानी उपलब्ध है।

तीसरा सत्र - ग्राम की जलापूर्ति एवं मांग के अनुसार जल सुरक्षा योजना

सत्र संचालन प्रक्रिया

पहले के दोनों सत्रों में हमने गांव के वार्षिक जल की कुल आवश्यकता एवं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से गांव में उपलब्ध जल की मात्रा को ज्ञात करना सीखा। इस सत्र में हम गांव में जल की आवश्यकता एवं गांव में कुल उपलब्ध जल में अंतर निकालना सीखेंगे साथ ही इस अंतर को ख़त्म करने के लिए क्या प्रयास किये जा सकते हैं जिससे गांव में सभी गतिविधियों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके इस पर चर्चा करेंगे।

गांव में जल की कुल वार्षिक आवश्यकता तथा गांव में उपलब्ध कुल जल में अंतर

पहले के सत्रों में ज्ञात की गई गांव में वार्षिक जल की कुल आवश्यकता में से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से गांव में उपलब्ध जल की मात्रा को घटाकर यह अंतर जाना जा सकता है।

गांव की कुल पानी की आवश्यकता (लीटर)	गांव में कुल पानी की उपलब्धता (लीटर)	गांव की कुल जल की वार्षिक आवश्यकता तथा गांव में कुल जल उपलब्धता मे अंतर (लीटर)
1	2	3 = (1-2)
92,28,51,000	38,33,75,760	53,94,75,240

गांव के वार्षिक जल की कुल आवश्यकता (92,28,51,000) - में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से गांव में उपलब्ध जल की मात्रा (38,33,75,760) = 53,94,75,240

वंशीपुर ग्राम को वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से प्रतिवर्ष लगभग 53 करोड़ 94 लाख 75 हजार लीटर अतिरिक्त जल की आवश्यकता है।

प्रतिभागियों को केस स्टडी में वंशीपुर गांव के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, गांव में जल सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए क्या-क्या गतिविधियां की जा सकती हैं समूह वार पूछें एवं जवाबों को चार्ट पेपर या बोर्ड पर लिखते जायें। सभी के जवाब आ जाने के बाद एक बार इस बात की जांच करें कि कोई गतिविधि छूट तो नहीं रही है। अगर कोई महत्वपूर्ण गतिविधि छूट रही हो तो उसे जोड़ें और गतिविधि वार चर्चा करें कि किस गतिविधि को किस योजना के अंतर्गत पूरा किया जा सकता है।

नीचे दी गई योजनायें और उनके तहत किये जा सकने वाले कार्यों की जानकारी प्रतिभागियों के साथ साझा करें।

क्र.	संभावित गतिविधियां	योजना का नाम
1	गांव में उपलब्ध क्षतिग्रस्त / निष्क्रिय जल स्त्रोतों की सफाई, मरम्मत एवं गहरीकरण	मनरेगा / 15वां वित्त आयोग
2	नए जल स्त्रोतों का निर्माण (तालाब, कुआँ, डैम, इत्यादि)	मनरेगा / 15वां वित्त आयोग / प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
3	वर्षा जल संग्रहण के लिए संरचनायें	मनरेगा / 15वां वित्त आयोग
4	खेत तालाब / मेंढ़ बंधान	मनरेगा / कृषि विभाग की योजनाए (बलराम तालाब)
5	बोर रिचार्ज / रिचार्ज शाफ्ट	मनरेगा / 15वां वित्त आयोग /अटल भूजल योजना (सिमित जगहों पर)
6	सोख्ता गड्ढा निर्माण	स्वच्छ भारत मिशन / मनरेगा / 15वां वित्त आयोग
7	कंटूर ट्रेंच	मनरेगा
8	पौधा रोपण	मनरेगा / 15वां वित्त आयोग

सत्र समेकन

- इस बात पर जोर दें कि अच्छी जल सुरक्षा योजना बना लेने और गतिविधियों को चिन्हित कर लेने मात्र से बात नहीं बनेगी, इसके लिये जो भी गतिविधियां निकलकर आयी हैं, उन्हें पंचायत के साथ बात कर जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) में जुड़वाना होगा। क्योंकि जब तक जीपीडीपी में गतिविधियों को शामिल नहीं किया जायेगा, उनका क्रियान्वयन कराना या पूरा कराना संभव नहीं है।
- जो भी गतिविधियां निकल कर आती हैं, जरूरी नहीं है कि सभी गतिविधियों के लिये बाहय फंड की आवश्यकता हो, कई गतिविधियां सामुदायिक श्रम दान/ अंशदान और सहयोग से भी की जा सकती है। उदाहरण के लिये किसी नाले पर बरसात के बाद बोरी बंधान बनाना है ताकि लम्बे समय तक उसमें पानी उपलब्ध रहे। इस काम खासकर उन लोगों के सहयोग से जिन्हें इसका फायदा मिलने वाला है उनके श्रम दान के माध्यम से आसानी से पूरा किया जा सकता है।

- सिर्फ नई संरचनायें बनाने से ग्राम में जल की आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच का अंतर कम नहीं होगा। सभी ग्रामवासियों द्वारा उपलब्ध जल का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग भी बहुत आवश्यक है। प्रतिभागियों से पूछें जल की व्यर्थ बर्बादी रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं। प्रतिभागियों की जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करें और उनसे पूछें कि यह कैसे संभव होगा और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। सभी के जवाब आ जाने के बाद देख लें कि कहीं कोई गतिविधि छूट तो नहीं गई है, अगर छूट गई है तो उसे जोड़ें तथा गतिविधि वार चर्चा करें।

उपलब्ध पानी को जिम्मेदारी से उपयोग करने के तरीके

दूसरा दिवस, सत्र-4 : नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

सत्र के उद्देश्य

- जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न संस्थाओं की पहचान और उनकी भूमिका का विश्लेषण करना।
- योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी में विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाओं पर समझ बनाना।

समयावधि : 3 घन्टा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, स्केच पेन, चपाती चित्रण हेतु विभिन्न साइज के गोलाकार कार्ड और सत्र से जुड़ा पीपीटी

सत्र संचालन की प्रक्रिया

इस सत्र को निम्नानुसार 2 उप सत्रों और समय में बांटा गया है –

पहला उप सत्र : चपाती चित्रण के माध्यम से जल जीवन मिशन में विभिन्न संस्थाओं के महत्व पर समझ।

दूसरा उप सत्र : योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं संचालन व रखरखाव में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका।

उप सत्र – 1 : चपाती चित्रण के माध्यम से जल जीवन मिशन में विभिन्न संस्थाओं के महत्व पर समझ

सत्र संचालन

- प्रतिभागियों से प्रश्न करें – ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक वे कौन-कौन सी संस्थाएं संगठन हैं, जिनकी भागीदारी नल जल योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
- प्रतिभागियों द्वारा बताये गए संस्थाओं के नामों को चार्ट पेपर या बोर्ड पर दर्ज करते जायें।
- अब प्रतिभागियों को प्रशिक्षण स्थल के बीच गोल घेरे में बैठने या खड़ा होने के लिए कहें।
- प्रतिभागियों में से 6-7 प्रतिभागियों को गोल घेरे के बीच में बुलाएं और उन्हें छोटे-बड़े विभिन्न आकार के अलग-अलग रंग के गोलाकार कार्ड प्रदान करें तथा बीचों बीच मार्कर या स्केच पेन की मदद से गांव की सीमा के लिए एक बड़ा गोल घेरा बनाने के लिए कहें।
- अब एक बड़े आकार के कार्ड पर जल जीवन मिशन लिखकर बनाए गए गोल घेरे के केन्द्र में रखने के लिए कहें।

- प्रतिभागियों से पूछें कि जिन संस्थाओं को आपने चिन्हित किया है क्या सभी की भूमिका एक समान है या कम-ज्यादा? प्रतिभागियों के जवाबों को सुनें और बतायें कि जिस संस्था की भूमिका अधिक है उसकी चपाती बड़ी होगी अर्थात बड़े कार्ड पर उसका नाम लिखा जायेगा, जिसकी भूमिका मध्यम या कम है उसका नाम उसी के अनुरूप मध्यम या छोटे आकार के कार्ड पर लिखा जायेगा। जिस संस्था की भूमिका और महत्व अधिक है उस संस्था के कार्ड को जल जीवन मिशन के कार्ड के उतने करीब रखने के लिए कहें। साथ ही इस बात का ध्यान रखने के लिए भी कहें कि क्या वह संस्था गांव के अंदर है या बाहर है, यदि गांव से बाहर है तो गांव की सीमा वाले गोले के बाहर उचित दूरी पर रखने के लिए कहें।
- जब प्रतिभागियों का एक समूह इस अभ्यास को पूरा कर ले तो अन्य प्रतिभागियों के समूह को आमंत्रित करें। यह समूह पूर्व समूह द्वारा किए गए चपाती चित्रण का अवलोकन करेगा। यदि इस समूह के सदस्यों को लगता है कि किसी संस्था के कार्ड को उसके महत्व और प्रभाव के अनुसार उचित स्थान पर नहीं रखा गया है तो आपस में चर्चा कर उसका स्थान परिवर्तन करेगा। साथ ही यदि किसी संस्था का नाम ध्यान में आता है तो एक कार्ड पर उसका नाम लिखकर उचित स्थान पर रखेगा। इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराने से प्रतिभागियों में चपाती चित्रण के माध्यम से नल जल योजना की सफलता में कौन सी संस्था का महत्व अधिक, कौन सी संस्था का महत्व मध्यम या कम है इस पर एक आम सहमति बन चुकी होगी। इसके अलावा पहुंच की दृष्टि से कौन सी संस्था गांव के भीतर है जिस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और कौन सी संस्था महत्वपूर्ण तो है लेकिन वह गांव से बाहर है या दूर है इस बात पर भी समझ बन जायेगी।

चपाती चित्रण का एक उदाहरण

उप सत्र – 2 : योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं संचालन व रखरखाव में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

सत्र संचालन प्रक्रिया

पूर्व उप सत्र में हमने जाना कि नल जल योजना की सफलता में कौन-कौन सी संस्थाएं प्रमुख हैं और किसकी कितनी भूमिका है। इस सत्र में हम इन संस्थाओं की भूमिकाओं के बारे में जानेंगे।

इसके लिये सभी प्रतिभागियों को 6 समूहों में बांटें। चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण हेतु समूहों को निम्नानुसार विषय प्रदान करें -

समूह-1 : ग्राम पंचायत की भूमिका

समूह-2 : ग्रामसभा/ समुदाय की भूमिका

समूह-3 : ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की भूमिका

समूह-4 : स्वयं सहायता समूह/ग्राम संगठन की भूमिका

समूह-5 : क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी की भूमिका

समूह-6 : पीएचईडी/ठेकेदार की भूमिका

समूहों को विषय आवंटित करने के बाद चर्चा करने हेतु अलग-अलग स्थान पर बैठने के लिये कहें और समूह चर्चा के लिए समय तय कर अवगत करायें।

- समूह चर्चा के बीच समूहों के बीच बैठें एवं चर्चा को सुनकर आवश्यक मदद करें ताकि चर्चा सही दिशा में हो सके।
- बीच-बीच में समूहों को समय का ध्यान भी दिलाते रहें।
- चर्चा का समय पूरा होने के बाद समूहों को प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित करें।
- एक समूह की प्रस्तुति के बाद अन्य प्रतिभागियों को प्रस्तुतकर्ता समूह से सवाल पूछने या शंका समाधान करने का अवसर दें। जहां आवश्यकता हो वहां स्वयं विषय को स्पष्ट करें। इस प्रकार सभी समूहों का एक-एक कर प्रस्तुतीकरण करायें।
- सभी समूहों का प्रस्तुतीकरण पूरा होने के बाद **पीपीटी (दूसरा दिन सत्र-1 योजना में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका)** के माध्यम से विभिन्न हितभागियों की उन भूमिकाओं को स्पष्ट करें जो समूहों की प्रस्तुतीकरण में नहीं आ पाई हैं और महत्वपूर्ण हैं।

सत्र समेकन

जल जीवन मिशन का केन्द्र समुदाय और विभिन्न संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी है। अनुभव बताते हैं कि समय के साथ कई योजनायें बंद हो गई या जैसा सोचा गया था वैसी खरी नहीं उतर पाई। जिसके कारणों में स्थानीय समुदाय एवं संस्थाओं की अनदेखी प्रमुख रूप से सामने आई।

हर घर तक नल से पर्याप्त एवं गुणवत्तायुक्त जल की नियमित सप्लाई हो इसके लिये गांव की वास्तविक जरूरत के मुताबिक योजना बने इसमें स्थानीय समुदाय एवं ग्राम पंचायत की बड़ी भूमिका है। ग्राम पंचायत को पीएचईडी के तकनीकी अमले से संपर्क बनाना होगा ताकि बनाई गई योजना के तकनीकी मापदंड पूरे हो सके। जिले से भी संपर्क बनाना होगा ताकि योजना की स्वीकृति एवं राशि समय पर मिल सके। योजना बनने के बाद गुणवत्तायुक्त अधोसंरचना का निर्माण हो इसके लिये पंचायत, समिति के साथ-साथ समुदाय द्वारा लगातार निगरानी की आवश्यकता है। यह तभी हो सकता है जब योजना के शुरूआती चरणों से समुदाय को साथ लिया जाये।

योजना की कुल लागत राशि का 10 फीसदी या 5 फीसदी भागीदारी भी समुदाय को देनी है इसकी तैयारी स्थानीय लोग ही कर सके इसके लिये उन्हें तैयार करने की जरूरत है। गांव की योजना के साथ वे इसे अपनी योजना मानें इसके लिये समुदाय को लगातार भागीदार बनाकर उन्हें केन्द्र में रखकर स्वामित्व देना होगा।

योजना बनाने में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में पंचायत के साथ क्रियान्वयन सहायता एजेंसी की बड़ी भूमिका है। एक बार योजना पूर्ण हो जाने के बाद उसके लगातार संचालन एवं समय-समय पर रखरखाव एवं मरम्मत की जिम्मेवारी समुदाय एवं पंचायत को ही लेनी है। अतः इसकी तैयारी प्रारंभ से ही करनी होगी ताकि संचालन एवं रखरखाव के लिये आवश्यक राशि समय पर एकत्रित हो सके। गुणवत्तायुक्त जल सभी को मिले इसके लिये समय-समय पर जल की जांच के साथ घरेलू स्तर पर जल उपचार के साधनों एवं प्रक्रिया पर लोगों को जागरूक करना होगा। इसके लिये ग्राम पंचायत, समिति या जल निगरानी दल को जिम्मेवारी लेनी होगी।

संदर्भ सामग्री

जलापूर्ति योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव तथा निगरानी के काम में विभिन्न संस्थाओं द्वारा भूमिकायें निभाई जानी है। जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन

- ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामसभाओं का आयोजन कराकर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जायेगा।

बैंक खाता खोलना

- ग्राम पंचायत द्वारा नेतृत्व कर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा भी बैंक खाता खोलने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जलापूर्ति योजना निर्माण

- ग्राम पंचायत द्वारा जलापूर्ति योजना निर्माण के संबंध में आवश्यक जन जागरूकता कार्य किया जायेगा।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा समुदाय के साथ मिलकर ग्राम की जरूरत के अनुसार जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जायेगा।

डिजाइन एवं तकनीकी अनुमोदन

- बनाई गई जलापूर्ति योजना को ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- अनुमोदित योजना अनुसार पीएचईडी द्वारा डिजाइन तैयार कर लागत निकाली जायेगी।
- ग्राम पंचायत द्वारा योजना के प्रस्ताव को जिला समिति को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

सामुदायिक अंशदान का संग्रह

- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम की जलापूर्ति योजना के अनुसार तय की गई कुल लागत का 5 फीसदी या 10 फीसदी राशि अंशदान के रूप में समुदाय से एकत्रित की जायेगी।
- ग्राम पंचायत द्वारा भी सामुदायिक योगदान राशि के एकत्रीकरण में आवश्यक पहल की जायेगी।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा संग्रह किये गये सामुदायिक अंशदान राशि को बैंक खाते में जमा कराया जायेगा।

जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन

- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम की तैयार जलापूर्ति योजना के अनुसार क्रियान्वयन किया जायेगा।
- जलापूर्ति योजना क्रियान्वयन के काम में पीएचईडी द्वारा आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन किया जायेगा।

जलापूर्ति योजना का संचालन एवं रखरखाव

- जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन के बाद योजना के नियमित संचालन की जिम्मेदारी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की है।
- समिति द्वारा नियमित जल वितरण एवं देखरेख के लिये पंप आपरेटर की नियुक्ति की जायेगी।
- ग्रामसभा में सभी परिवारों से मासिक फीस तय की जायेगी जिसे ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा संग्रहित किया जायेगा।

- फीस संग्रह के समय ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा संबंधित परिवार को रसीद दी जायेगी।
- संग्रहित फीस समिति के बैंक खाते में जमा करायी जायेगी।

जलापूर्ति योजना की निगरानी

- जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करना आवश्यक है ताकि मजबूत अधोसंरचना बने एवं तय किये गये मापदंडो के अनुसार काम किया जाये। योजना के क्रियान्वयन की निगरानी ग्राम पंचायत तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा की जायेगी।

जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी

- ग्राम पंचायत तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नियमित रूप से गांव के जल स्त्रोतों के जल की गुणवत्ता की निगरानी की जायेगी। जल गुणवत्ता परीक्षण का काम जल जीवन मिशन के तहत प्रशिक्षित 5 महिलाओं के समूहों द्वारा किया जायेगा।

तृतीय दिवस

तृतीय दिवस, सत्र-2 : : किसकी निगरानी करें और कैसे करें ?

सत्र के उद्देश्य

- जल गुणवत्ता की निगरानी एवं उपचार पर समझ बनना।
- नल जल योजना के विभिन्न घटकों की निगरानी पर समझ विकसित करना।
- सामुदायिक योगदान /जनभागीदारी के मान्दंड और संकलन पर समझ विकसित करना।

समयावधि : 2 घन्टा 30 मिनट

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर एवं सत्र से जुड़ा पीपीटी

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र को दो उप सत्रों और समयावधि में निम्नानुसार बांटा गया है –

उप सत्र-1 : जल गुणवत्ता की निगरानी और उपचार – 30 मिनिट

उप सत्र-2 : नल जल योजना की निगरानी और अंशदान व कनेक्शन शुल्क की वसूली – 1 घन्टा 45 मिनिट

उप सत्र-1 : जल गुणवत्ता की निगरानी और उपचार

सत्र संचालन प्रक्रिया

प्रतिभागियों से एक—एक कर निम्न प्रश्न पूछे -

- साफ पानी का क्या मतलब है या हम कब कहेंगे कि हमारा पानी साफ है?
- पानी में किस-किस प्रकार की गंदगी हो सकती है?

प्रतिभागियों द्वारा दिये गये जवाबों को अलग-अलग सवाल के अनुसार अलग-अलग लिखें। महत्वपूर्ण जवाबों को दोहरायें।

- **पीपीटी (तीसरा दिन, सत्र-2: किसकी निगरानी करे और कैसे करे)** के माध्यम से जल गुणवत्ता के विभिन्न विषयों को स्पष्ट करें।

सत्र समेकन

हम सब जानते हैं कि जल हम सबके लिये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी ने समझा कि पानी में कई प्रकार के

रासायनिक तत्व तय सीमा से ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं साथ ही जैविक विषाणु भी हो सकते है। जल की अशुद्धि के कारण कई प्रकार की बीमारियां जैसे– डायरिया, पीलिया के साथ-साथ शरीर के कई हिस्सों में बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिये आवश्यक है कि हम जल की अशुद्धियों की जांच करें और समझें कि यह हमारे पीने लायक है या नहीं। जो उपचार घर के स्तर पर हो सकते हैं उन्हें आवश्यक रूप से किया जाना चाहिये। जहां जल प्रदूषण की स्थिति गम्भीर हो वहां पीएचई विभाग से सम्पर्क कर जल शोधन प्लांट लगवाया जाना चाहिये ताकि लोगों को पीने के लिये शुद्ध पानी मिले और वे जल जनित बीमारियों के प्रकोप से बचे रहें।

सत्र समेकन

इस बात पर जोर दें कि शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिये हमें उन समस्याओं के लिये भी काम करना होगा जो हमारे जल स्रोतों को दूषित बनाने के लिये जिम्मेदार हैं। किन-किन वजह से जल स्रोत प्रदूषित होते हैं इस पर चर्चा करें।

संदर्भ सामग्री

जल गुणवत्ता का मतलब क्या है

अच्छे स्वास्थ्य के लिये हमारे जल का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जल संबंधी अशुद्धियों से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं और कई बार यह मृत्यु का कारण भी बनती है।

जल अशुद्धि के कारक

जैविक गंदगी	• पीने के पानी में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या इनके विषाक्त पदार्थ मिले होते हैं, ऐसे पानी के उपयोग पर पूरी तरह से रोक है।
रासायनिक गंदगी	• जल में कई रसायन जैसे - फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, नाइट्रेट, कठोरता, क्षार, सल्फेट आदि ऐसे कई रसायन मिले होते हैं जिनकी मात्रा तय सीमा से अलग होने पर ऐसा जल काफी नुकसान देह होता है।
भौतिक	• पानी में मिट्टी, रेत एवं अन्य बारीक कण मिले होते हैं।

हमारे पानी में कौन-कौन सी अशुद्धियां मिली हैं यह जानना जरूरी है। अशुद्धियों का पता लगाने के लिये जल की जांच आवश्यक है।

जल अशुद्धि का हमारे शरीर मे प्रभाव

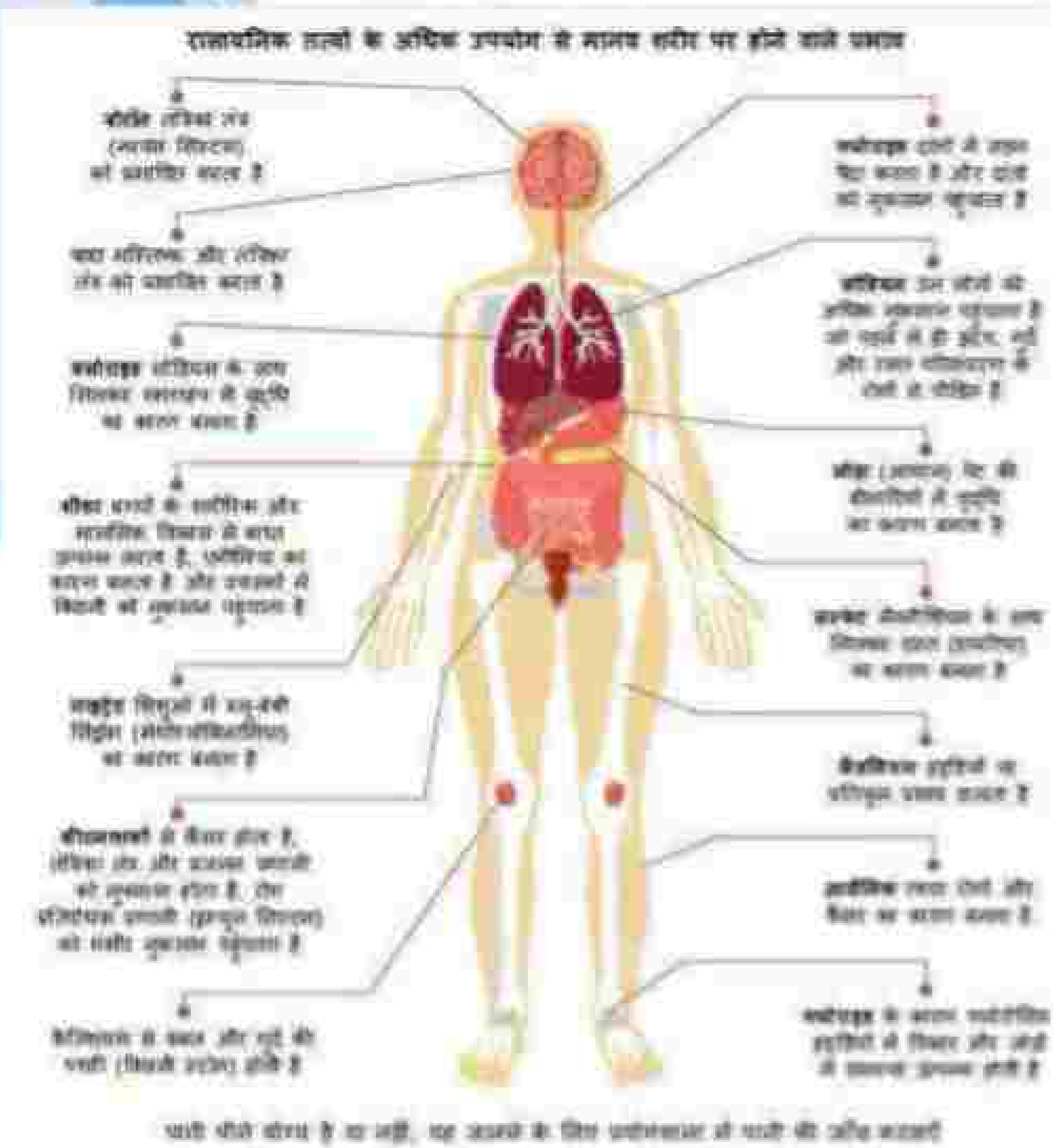

जल की जांच

वर्तमान में तीन माध्यमों से जल परीक्षण किया जाता है।

- फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके)
- जल जांच प्रयोगशाला
- देखकर, सूंघकर एवं स्वाद लेकर

भौतिक परीक्षण	देखकर, सूंघकर एवं स्वाद लेकर हम रंग, गंद एवं स्वाद का परीक्षण कर सकते है।
फील्ड टेस्टिंग किट-रासायनिक परीक्षण	पीएचईडी द्वारा यह किट ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई है। इस किट से हम अपने गांव में ही जल में रासायनिक अशुद्धियों की जांच कर सकते है और जान सकते है कि यह पानी हमारे उपयोग लायक है अथवा नहीं।
फील्ड टेस्टिंग किट-जैविक परीक्षण	पीएचईडी द्वारा दी गई H_2S बाटल के सहयोग से जल में जैविक अशुद्धियों की जांच की जा सकती है।
प्रयोगशाला	पीएचईडी द्वारा जिले स्तर पर या इससे नीचे के स्तर पर स्थापित जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में भी जैविक अशुद्धियों की जांच करायी जा सकती है। प्रयोगशाला में की गई जांच से जल की सूक्ष्म अशुद्धियां भी स्पष्ट हो जाती है एवं ज्यादा विश्वसनीय होती है।

जल गुणवत्ता परीक्षण के लिये कौन जिम्मेवार

- ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार मानसून पूर्व एवं मानसून के बाद जल परीक्षण करना अनिवार्य है।
- जिले द्वारा सभी 13 मापदंडों के लिए प्रति माह 250 जल स्रोतों का परीक्षण किया जाना है। सकारात्मक नमूने राज्य को भेजे जाएंगे।
- राज्य स्तर से सभी जिलों में 536 जल स्रोतों का परीक्षण किया जाएगा। रासायनिक अशुद्धियों के लिए वर्ष में एक बार और जैविक अशुद्धियों के लिए वर्ष में दो बार (मानसून पूर्व एवं बाद में) परीक्षण जरूरी है।

जल परीक्षण रिपोर्ट किससे साझा करें

ग्रामसभा से - परीक्षणकर्ता समूह/दल द्वारा ग्राम के जल स्रोतों की परीक्षण रिपोर्ट को ग्रामसभा से साझा किया जायेगा। ताकि सभी ग्रामवासियों को जल स्रोत में जल गुणवत्ता की स्थिति की जानकारी हो सके।

ग्राम पंचायत से - परीक्षण रिपोर्ट ग्राम पंचायत को दी जानी चाहिये ताकि वह रिपोर्ट पीएचईडी को भेज सके।

पीएचईडी - परीक्षण रिपोर्ट को पीएचईडी से साझा किया जाना चाहिये ताकि पीएचईडी पर दबाव बने एवं उसके द्वारा जल शोधन या उपचार के आवश्यक कदम उठाये जा सकें।

घरेलू स्तर पर जल उपचार कैसे करें

छानना - बारीक छिद्र वाले साफ कपड़े से जल को छानकर उपयोग करना चाहिये। 35 एन.टी.यू. से अधिक मैलापन वाले सतही जल स्रोतों के लिए।

उबालना - उपयोग के पूर्व जल को कम से कम 1 मिनट के लिये उबालना चाहिये।

क्लोरीनीकरण

- 10 लीटर पानी में 500 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालकर घोल बनायें।
- 1 लीटर पानी में 2 बूंद क्लोरीन घोल के हिसाब से पानी की अनुमानित मात्रा के अनुसार क्लोरीन घोल डालकर जल का उपचार करें।
- गंध से छुटकारा पाने के लिए पानी को थोड़ी देर के लिए खुला रखें।

क्लोरीन घोल कैसे बनायें

- सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और साफ कपड़े से हाथों को पोंछ लें।
- 20 लीटर पानी से भरे बर्तन में क्लोरीन की एक गोली डालकर उसको बंद कर दें या ढककर रख दें।
- बर्तन में गोली डालने के बाद 30 मिनट तक बंद रखने के बाद पानी पीने के लिए तैयार हो जाएगा।

जल सुरक्षा के अन्य तरीके / सावधानियां

- पानी रखने वाले बर्तनों को प्रतिदिन अच्छी तरह साबुन से धोयें।
- उपचार किए गए पानी को जमीन से ऊपर चबूतरे (प्लेट फार्म) पर ऐसे स्थान पर रखें जहाँ सीधी धूप न पड़ती हो।
- पानी को छोटे बच्चों एवं पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें।
- बर्तन से पानी निकालने के लिए डंडी वाले लोटे का इस्तेमाल करें।
- डंडी वाले लोटे को साफ जगह पर रखें और इसे साबुन से नियमित धोते रहें।
- पेयजल के बर्तन को हमेशा ढंककर रखें ताकि पानी में गंदगी न जा पाये।

उप सत्र-2 : नल जल योजना की निगरानी और अंशदान व कनेक्शन शुल्क की वसूली

सत्र संचालन

यह सत्र समूह अभ्यास के माध्यम से संचालित किया जायेगा। सभी प्रतिभागियों को 4 समूह में बांटे। समूहों को समूह चर्चा और प्रस्तुतिकरण के लिये निम्नानुसार विषय प्रदान करें -

समूह -1 : ट्यूबवेल से राइजिंग मेन पाईप लाइन, सम्पवेल/ ओवरहेड टैंक तक क्या निगरानी करने की आवश्यकता है।

समूह -२ : सम्पवेल/ ओवरहेड टैंक से गाँव के विभिन्न मोहल्लों में बिछाई गई पाईप लाइन / वाल्व आदि की क्या निगरानी करने की आवश्यकता है।

समूह -3 : घरों में नल कनेक्शन शुरूआत से लेकर गाँव के अंतिम छोर तक दबाव के साथ जल आपूर्ति, जल भण्डारण और अपशिष्ट जल के प्रबंधन में क्या निगरानी करने की आवश्यकता है।

समूह - 4 : सामुदायिक अंशदान एवं नल कनेक्शन शुल्क की वसूली।

प्रत्येक समूह दिये गये विषय पर चर्चा कर निगरानी के मुद्दे और उनके लिए जिम्मेदार एवं जवाबदेह व्यक्तियों की पहचान कर अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। यदि समूहों के प्रस्तुतिकरण में विषय से संबंधित निगरानी के कोई मुद्दे छूट गये हों तो आगे दी गई विषय वार तालिका का उपयोग कर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान करें।

समूह-1 : ट्यूबवेल से राइजिंग मेन पाइपलाइन द्वारा सम्पवेल/ओवरहेड टैंक तक क्या निगरानी करने की आवश्यकता है

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
1.	ट्यूबवेल के आसपास की साफ-सफाई	पम्प ऑपरेटर	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी
2.	जल स्रोत का स्थायित्व	वीडब्ल्युएससी	ग्राम पंचायत
3.	राइजिंग मेन पाइपलाइन में अवैध नल कनेक्शन	पम्प ऑपरेटर, वीडब्ल्युएससी, समुदाय	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी
4.	राइजिंग मेन पाइपलाइन में लीकेज तथा गंदे पानी का प्रवेश	पम्प ऑपरेटर, वीडब्ल्युएससी	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी
5.	समय-समय पर सम्पवेल और ओवरहेड टैंक की सफाई	पम्प ऑपरेटर, वीडब्ल्युएससी	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी

6	पम्प हाउस और अन्य उपकरण, सामग्री की निगरानी	पम्प ऑपरेटर या नियुक्त कर्मचारी	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी
7	ट्यूबवेल और सम्पवेल में पानी की गुणवत्ता	जल परीक्षण दल	वीडब्ल्युएससी

समूह-2 : सम्प वेल/ओवरहेड टैंक से गांव के विभिन्न मोहल्लों में बिछायी गई पाइपलाइन/वाल्व आदि की क्या निगरानी करने की आवश्यकता है।

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
2	नल जल योजना में लगायी जाने वाली सभी सामग्री जैसे मोटर, पाइप, फेरूल आदि आईएसआई मार्क की है	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी और समुदाय	पीएचईडी एवं ठेकेदार
2	सभी घरों में नल कनेक्शन और जल वितरण हेतु वाल्व फिटिंग	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी, समुदाय और हितग्राही	पीएचईडी एवं ठेकेदार
3	टंकी की साफ-सफाई और पानी की गुणवत्ता	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी, समुदाय और 5 महिलाओं का जांच दल	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी और पीएचईडी
4	मोहल्ला वार नियमित जल आपूर्ति की व्यवस्था	ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी और पम्प ऑपरेटर	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी और पम्प ऑपरेटर
5	पाइपलाइन बिछाने हेतु नाली की उचित गहराई (3 फिट), चेम्बर का स्थान और निर्माण की गुणवत्ता	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी	ठेकेदार
6	पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई रोड/सड़क की मरम्मत	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी और समुदाय	ठेकेदार

समूह-3 : घरों में नल कनेक्शन, शुरूआत से लेकर गांव के अंतिम छोर तक दबाव के साथ जल आपूर्ति और घरों में जल भण्डारण और उपयोग में क्या निगरानी की आवश्यकता है।

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
1	घरों में उचित स्थान पर और गुणवत्ता पूर्ण नल कनेक्शन	वीडब्ल्युएससी, पम्प ऑपरेटर	ठेकेदार और पीएचईडी
2	मोहल्ला/टोला अनुसार वैक वाल्व	वीडब्ल्युएससी, ग्राम पंचायत	ठेकेदार और पीएचईडी

3	नल कनेक्शन में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता	वीडब्ल्युएससी, ग्राम पंचायत, समुदाय	ठेकेदार और पीएचईडी
4	घरों में पानी की भण्डारण व्यवस्था	हितग्राही, वीडब्ल्युएससी	वीडब्ल्युएससी और जल गुणवत्ता परीक्षण दल
5	नल कनेक्शन में अवैध रूप से मोटर लगाना	वीडब्ल्युएससी, पम्प ऑपरेटर, समुदाय	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी
6	पानी के उपयोग पर सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	ग्राम पंचायत, ग्राम सभा
7	व्यक्तिगत और सामुदायिक सोख्ता गढ्ढों का निर्माण	वीडब्ल्युएससी, ग्राम पंचायत, हितग्राही	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी
8	गन्दे पानी का किचिन गार्डन हेतु उपयोग	वीडब्ल्युएससी, ग्राम पंचायत, हितग्राही	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी

समूह-4 : जल वितरण व्यवस्था और सामुदायिक अंशदान तथा जल कर की व्यवस्था में क्या निगरानी की आवश्यकता है।

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
1	बसाहटों के अनुसार वाल्व लगाना	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्युएससी	ठेकेदार, पीएचईडी
2	ऊँचाई या टीले की बसाहटों में पहले नल देना	वीडब्ल्युएससी	पम्प ऑपरेटर
3	एक वाल्व से उचित संख्या में नल कनेक्शन	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	ठेकेदार और पीएचईडी
4	मोहल्ला वार जल आपूर्ति समय का निर्धारण	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	पम्प ऑपरेटर
5	सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन आदि में नल कनेक्शन	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	ठेकेदार, पीएचईडी
6	पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए हर नल कनेक्शन पर पानी का मीटर लगाना	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	पम्प ऑपरेटर और तकनीशियन
7	सामुदायिक अंशदान, मासिक जल कर एकत्र करना और उसका रिकार्ड रखना	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	वीडब्ल्युएससी

8	रेट्रोफिटिंग के मामले में एपीएल, बीपीएल श्रेणी के अनुसार अंशदान वसूली	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	वीडब्ल्युएससी
9	नल जल योजना की राशि के संधारण हेतु स्वतंत्र बैंक खाता खुलवाना	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्युएससी	ग्राम पंचायत

नोट : समूह प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुतकर्ता समूह से अन्य समूह के सदस्यों को सवाल पूछने या शंका समाधान का अवसर अवश्य दें।

सत्र समेकन

इस बात के महत्व पर चर्चा करें कि नल जल योजना बिना रूकावट के लम्बे समय तक सुचारू रूप से चलती रहे इसके लिये निगरानी व्यवस्था का मजबूत होना और जल कर की नियमित वसूली बेहद जरूरी है। लोग समय पर जल कर दें इसके लिये नियमित पानी की आपूर्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

तृतीय दिवस, सत्र-3 : सहभागी तरीके से नल जल योजना का संचालन एवं रखरखाव (O&M)

सत्र के उद्देश्य

- नल जल योजना में मासिक जलकर निर्धारण प्रक्रिया को समझना।
- जलकर इकट्ठा करने हेतु नियम बनाना सीखना।
- संभावित खर्चों के भुगतान व्यवस्था को समझना।
- नल जल योजना के संचालन एवं रखरखाव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका पर समझ बनाना।

समयावधि : 2 घन्टा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर एवं पीपीटी

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र की विषय वस्तु को दो उप सत्रों में बांट कर निम्नानुसार समय का निर्धारण किया गया है -

- **उप सत्र-1 :** ग्राम सभा में जल कर का निर्धारण – 1 घन्टा 15 मिनिट (45 मिनिट रोल प्ले और 30 मिनिट डीब्रीफिंग के लिये)
- रोल प्ले के बाद चाय ब्रेक – 15 मिनिट
- **उप सत्र-2 :** नल जल योजना के संचालन और रखरखाव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका – 30 मिनिट

उप सत्र-1 : ग्राम सभा में जल कर का निर्धारण

सत्र संचालन

इस सत्र का संचालन रोल प्ले के माध्यम से किया जायेगा। रोल प्ले के लिये प्रतिभागियों को अलग-अलग भूमिकायें दी जायेंगी और उन्हें उसी के अनुसार ग्राम सभा में व्यवहार करना होगा।

रोल प्ले पर ब्रिफिंग :

रोल प्ले के किरदार : रोल प्ले कराने के लिये सभी प्रतिभागियों को रूचि अनुसार किरदार देना, जिसमें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पंच, जल समिति सदस्य, पीएचईडी इंजीनियर, ग्राम सेवक, महिला समूह की सदस्य एवं ग्राम सभा सदस्य (युवा, महिलायें और पुरुष)।

रोल प्ले संचालन विधि : प्रतिभागियों को किरदार के अनुसार चिह्नित कर उन्हें प्रशिक्षण हॉल के बाहर ले जाकर जो किरदार उन्हें निभाना है उसकी चिट प्रदान करें और समझायें कि सभी को दिये गये किरदार की भूमिका के अनुसार अपनी बात रखना है। जो प्रतिभागी रोल प्ले में शामिल नहीं हैं, उन्हें रोल प्ले को ध्यान से देखने के लिये कहें। रोल प्ले पूर्ण होने पर वे अपनी बात रखेंगे कि उन्होंने क्या देखा, क्या निर्णय लिये गये, ग्राम सभा कि प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं, निर्णयों में सभी की भागीदारी थी या नहीं, आदि।

ग्राम सभा में निम्न एजेंडे पर चर्चा की जायेगी -

1. नल जल योजना के लिये मासिक जल कर राशी का निर्धारण करना।
2. नल जल योजना संचालन एवं प्रबंधन के लिये आवश्यक नियम बनाना।
3. निगरानी / संचालन व्यवस्था पर चर्चा करना।

ग्राम सभा की बैठक व्यवस्था : रोल प्ले के लिये सभी सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी एक गोल घेरे में बैठेंगे। जिसमें ग्राम सभा अध्यक्ष, सचिव, पीएचईडी इंजिनियर एवं ग्राम सेवक सामने बैठेंगे और ग्राम सभा सदस्य उनके सामने अंग्रेजी के **यू** अक्षर के आकार में बैठेंगे।

रोल प्ले हेतु दी जाने वाली भूमिकाएं

सरपंच – [illegible]

सचिव – [illegible]

पीएचईडी इंजीनियर - [illegible]

महिला समूह की सदस्य- [illegible]

ग्रामीण महिलाएं - [illegible]

जल समिति सदस्य- [illegible]

ग्राम सभा सदस्य - [illegible]

- **ग्राम सभा का आयोजन -** ग्राम सभा अध्यक्ष के कहने पर पंचायत सचिव द्वारा एजेंडा पढ़कर सुनाया जायेगा।
- **जल समिति द्वारा तैयार जल कर राशि का ड्राफ्ट ग्राम सभा में प्रस्तुत करना –** ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम सतपिपलिया की जल कर राशी के निर्धारण का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसे ग्राम सभा की बैठक में चर्चा के लिये रखा जायेगा, जिस पर ग्राम सभा सदस्य चर्चा कर प्रस्ताव पास करेंगे।
- **सतपिपलिया ग्राम की सामान्य जानकारी :** ग्राम सतपिपलिया (जिला –सीहोर) जिले से 15 किलोमीटर कि दूरी पर स्थित है, ग्राम में कुल 1845 जनसंख्या है एवं 344 परिवार हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग 261, मुस्लिम 45, अनुसूचित जन जाति 4, अनुसूचित जाती 31, सामान्य वर्ग 3 परिवार निवास करते हैं।

खर्च विवरण			
क्र .	खर्च मद	मासिक खर्च	वार्षिक खर्च
1	वॉल्व-मेन का मासिक मानदेय	7,500/-	90,000/-
2	मासिक बिजली बिल	18,000/-	2,16,000/-
3	मोटर रिपेरिंग, टूट-फूट खर्च	5,000/-	60,000/-
4	जल गुणवत्ता सम्बंधित खर्च	1,000/-	12,000/-
	नल जल योजना पर कुल मासिक/वार्षिक खर्च	31,500/-	3, 78,000/-
खर्च के अनुसार जल कर का निर्धारण			
क्र .	स्रोत	मासिक जल कर	वार्षिक जल कर
1	कुल मासिक खर्च ÷ गांव में कुल नल कनेक्शन = प्रति परिवार अनुमानित मासिक जल कर	31500÷ 344 = 91.50/-	91.50 x 12 = 1098/-
	जल कर का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गांव में गरीब परिवारों को जल कर में छूट/रियायत देने एवं कुछ परिवारों के समय पर जल कर न दे पाने के कारण योजना के संचालन में परेशानी आ सकती है, इसलिए गणना से निकली राशि में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि करके जल कर तय करना चाहिए।	100/- प्रति परिवार	1200/- प्रति परिवार
	इमरजेंसी फण्ड के रूप में जमा शेष राशि = (कुल आय – कुल खर्च)	2,500/-	30,000/-

ग्राम सभा बैठक के अपेक्षित परिणाम

- ग्राम सभा बैठक में प्रक्रियाओं का पालन किया गया – जिसमें कोरम पूर्ति, एजेंडा वाचन, अध्यक्ष का चयन, एजेंडा वार चर्चा एवं सर्व सहमती से निर्णय लेना और लिये गये निर्णय को बैठक पूर्ण होने के बाद पढ़कर सुनाना एवं इसके उपरांत सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर कराना।
- मासिक जल कर राशी के निर्धारण में सभी की सहमित होना।
- योजना संचालन के लिये आवश्यक नियम बनाना।
- नल जल योजना को सुचारू चलाने के लिये निगरानी व्यवस्था निर्माण करना एवं समय और जिम्मेदारी देना।

रोल प्ले का समेकन

रोल प्ले पूर्ण होने पर प्रतिभागियों के साथ निम्न बिंदुओं पर चर्चा करें -

- क्या आप ग्राम सभा में लिये गये निर्णय से सहमत हैं ?
- क्या ग्राम सभा में सारे एजेंडों पर निर्णय लिये गये ?
- क्या ग्राम सभा में लिये गये निर्णय अनुचित थे और क्या कोई मुद्दा निर्णय से छूट गया ?
- क्या ग्राम सभा संचालन में कोई प्रक्रिया छूट गयी?
- कौन से निर्णय आपको बहुत अच्छे लगे ?

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर प्रतिभागियों के साथ चर्चा कर रोल-प्ले का सार निकालना और प्रयास करना कि प्रतिभागी मासिक जलकर निर्धारण योजना संचालन के लिए नियम ,बनाना और योजना की निगरानी व्यवस्था को समझ पायें।

उप सत्र-2 : नल जल योजना के संचालन और रखरखाव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका

सत्र संचालन

प्रतिभागियों से पूछे कि आपके हिसाब से नल जल योजना के संचालन एवं रखरखाव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की क्या भूमिका होनी चाहिये। प्रतिभागियों के जवाबों को नोट करते जायें और उन्हें इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा सोचने और प्रतिक्रियाएं देने के लिये प्रेरित करें। इसके उपरांत सत्र संबंधी **पीपीटी (तीसरा दिन, सत्र-3,नल जल योजना में ग्राम सभा और पंचायत की सहभागिता)** का उपयोग कर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका से प्रतिभागियों को अवगत करायें।

"नल जल योजना में ग्राम सभा एवं पंचायत कि भूमिका

क्र.	जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम सभा एवं पंचायत की प्रमुख भूमिकाएं
1	ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति निर्माण।
2	ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का बैंक खाता खुलवाना।
3	ग्राम कार्य योजना/ वीएपी निर्माण।
4	ग्राम के पेयजल स्रोतों की नियमित जल गुणवत्ता जाँच कराना एवं आवश्यक कार्यवाही करना।
5	पीएचईडी द्वारा निर्मित डीपीआर को वीएपी के साथ स्वीकृत कराना।
6	जल सुरक्षा योजना (WSP) का निर्माण।
7	जनभागीदारी राशि/कनेक्शन शुल्क इकठ्ठा करना।
8	नल जल योजना निर्माण के दौरान मॉनीटरिंग/निगरानी करना एवं आवश्यकता अनुसार जिला जल स्वच्छता प्रबंधन समिति/ पीएचईडी को फीडबैक देना।
9	निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद नल जल योजना का हैंडओवर लेना।
10	नल जल योजना संचालन के लिये नियमावली बनाना।
11	रख-रखाव (O&M) कार्य करना, नियमित जल कर लेना एवं रिपेयर/मेंटेनस कार्य करवाना।
12	नल जल योजना का वार्षिक सामाजिक अंकेक्षण कराना एवं समस्या निवारण की व्यवस्था बनाना।

- **ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का निर्माण** : जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत के अंतर्गत सभी ग्रामों में अपनी-अपनी ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का निर्माण करना है। (जिस ग्राम कि जनसंख्या 250 से कम होगी उक्त ग्राम में पास के ग्राम के साथ संयुक्त समिति बनाई जायेगी)

- **ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का बैंक खाता खुलवाना :** ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का किसी राष्ट्रीकृत बैंक में समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के नाम से संयुक्त खाता खोला जायेगा, उक्त खाते से समिति के सारे कार्यों के लिये भुगतान होगा।
- **ग्राम कार्य योजना (VAP) निर्माण :** जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना के निर्माण कार्य के पहले ग्राम कार्य योजना का निर्माण किया जायेगा, उक्त योजना में टंकी का स्थान, बोर, पाइप लाइन, नल कनेक्शन संख्या आदि कि जानकारी सहभागी नियोजन के माध्यम से एकत्र की जायेगी एवं ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद जिला जल एवं स्वच्छता प्रबंधन समिति/पीएचईडी को भेजा जायेगा।
- **ग्राम के पेयजल स्रोतों की नियमित जल गुणवत्ता जाँच कराना एवं आवश्यक कार्यवाही करना :** जल गुणवत्ता जाँच कराने के लिये उक्त ग्राम की 5 महिलाओं का चयन कर पीएचईडी के द्वारा प्रशिक्षण एवं फील्ड टेस्टिंग किट (FTK) दी जायेगी। प्रशिक्षित महिलाओं के माध्यम से वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम के कम से कम 5 सामुदायिक जल स्रोतों की जाँच की जायेगी। जाँच के परिणाम पीएचईडी एवं ग्राम सभा को उचित कार्यवाही हेतु भेजे जायेंगे।
- **पीएचईडी द्वारा निर्मित डीपीआर को वीएपी के साथ स्वीकृत कराना :** ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति एवं पीएचईडी के माध्यम से ग्राम कार्य योजना और डीपीआर तैयार की जायेगी, जिसे ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद जिला जल एवं स्वच्छता प्रबंधन समिति/पीएचईडी को आगामी कार्यवाही के लिये प्रेषित किया जायेगा।
- **जल सुरक्षा योजना (WSP) का निर्माण :** जल जीवन मिशन अंतर्गत अधिकांश नल जल योजनाएं भूजल आधारित बनाई जा रही हैं, इसलिए भूजल का स्तर बढ़ाने के लिये जल सुरक्षा योजना बनाकर कार्य करना आवश्यक हो गया है। जल सुरक्षा योजना में प्रस्तावित कार्यों का ग्राम पंचायत में चलने वाली योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स किया जायेगा।
- **जनभागीदारी राशी/कनेक्शन शुल्क इक्कठा करना :** DPR फाइनल होने के बाद नल जल योजना की लागत राशी स्पष्ट हो जायेगी जिसके आधार पर जनभागीदारी राशी या कनेक्शन राशी समिति द्वारा इक्कठा की जा सकती है।
- **नल जल योजना निर्माण के दौरान मॉनीटरिंग/निगरानी करना एवं आवश्यकता अनुसार जिला जल एवं स्वच्छता प्रबंधन समिति/पीएचईडी को फीडबैक देना :** ग्राम में नल जल योजना निर्माण के दौरान ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति एवं पंचायत कि यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी नियमित रूप से करते रहें एवं किसी प्रकार की कमी होने पर या सुधार की आवश्यकता होने पर जिला जल एवं स्वच्छता प्रबंधन समिति/पीएचईडी के साथ संवाद करें या फीडबैक दें।

- **नल जल योजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद हैंड ओवर लेना :** पंचायत द्वारा नल जल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद पीएचईडी/ठेकेदार से हैंडओवर लिया जायेगा. हैंड ओवर लेने से पूर्व सभी निर्माण कार्य कि गुणवत्ता एवं पूर्णता स्थिति का आंकलन कर हैंड ओवर लेना चाहिए।

- **नल जल योजना संचलन के लिये नियमावली बनाना :** नल जल योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नियमावली बनाना और ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद उसे लागु करना।
- **रख-रखाव (O&M) कार्य करना, नियमित जल कर लेना एवं रिपेयर/मेंटेनंस कार्य करवाना :** योजना संचालन एवं प्रबंधन में रख -रखाव (O&M) कार्य सबसे महत्वपूर्ण है. समिति द्वारा योजना के संचालन हेतु नियमित रूप से मासिक जलकर लेना चाहिए एवं किसी भी प्रकार कि टूट-फूट एवं मेन्टेनेंस के कार्यों को समय पर पूर्ण कराना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का योजना पर भरोसा बना रहे।
- **नल जल योजना का वार्षिक सामाजिक अंकेक्षण करना एवं समस्या निवारण व्यवस्था :** नल जल योजना का प्रति वर्ष कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण कराना चाहिये, जो लोग इस योजना में सहभागी हैं उन्हें योजना के आय-व्यय का हिसाब मिलना चाहिए साथ ही समस्या निवारण हेतु समिति द्वारा पंचायत या चौपाल पर समस्या रजिस्टर/ पेटी या कोई मोबाइल नंबर जिस पर ग्राम का कोई भी व्यक्ति नल जल योजना सम्बंधित समस्या रजिस्टर कर सके एवं एक समय सीमा में उक्त समस्या का निराकरण होना चाहिए।

तृतीय दिवस, सत्र-4 : सहभागी प्रशिक्षण, वयस्कों के सीखने के सिद्धांत और प्रशिक्षण की रूपरेखा बनाना

सत्र के उद्देश्य

- सहभागी प्रशिक्षण क्या है? और सहभागी प्रशिक्षण की विधियों पर समझ बनाना।
- वयस्कों के सीखने सिद्धांत – वयस्क कब और कैसे सीखते हैं अवगत कराना।
- प्रशिक्षण की रूपरेखा कैसे बनायें इस पर समझ बनाना।

समयावधि : 2 घन्टा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर पेन

सत्र संचालन प्रक्रिया

प्रतिभागियों से एक-एक कर निम्न प्रश्न पूछें –

- सहभागी प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं?
- किसी भी प्रशिक्षण को सहभागी बनाने के लिये क्या तरीके अपनाये जा सकते हैं?
- क्या बच्चों और बड़ों के सीखने की प्रक्रिया में कुछ अन्तर है ?

प्रतिभागियों के जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करते जायें, और सही जवाबों का दोहराव करें। अब नीचे दी गई जानकारी को बिन्दु वार प्रतिभागियों के साथ साझा करें।

सहभागी प्रशिक्षण

- सहभागी प्रशिक्षण अनुभव आधारित प्रक्रिया है।
- यह दो तरफा प्रक्रिया है।
- यह ज्ञान से अधिक व्यवहार परिवर्तन पर केन्द्रित है।

विकास सन्दर्भ में जब भी प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस होती है तो मुद्दा सिर्फ ज्ञान नहीं होता। व्यक्ति का दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, सामाजिक अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात सहभागी प्रशिक्षण जिसमें पिछड़े वर्ग की विकास में सहभागिता केंद्र में होती है, प्रशिक्षक एक सहजकर्ता की भूमिका निभाता है जिसमें वह सीख और सोच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का लिये एक आवश्यक और सुरक्षित माहौल का निर्माण करता है।

अक्सर हम ऐसा मानते हैं कि बहुत एक सहभागी कहलाने वाली पद्धतियां जैसे रोल प्ले, छोटे समूह में चर्चा इत्यादि करा लेने से प्रशिक्षण सहभागी हो जाता है। वास्तव में यह पद्धतियां नहीं अपितु पद्धतियों के सही इस्तेमाल और वातावरण के सही निर्माण से कोई भी शिक्षण, सहभागी प्रशिक्षण का दर्जा पाता है।

परम्परागत प्रशिक्षण व सहभागी प्रशिक्षण में अंतर

आमतौर पर होने वाले प्रशिक्षण	सहभागी प्रशिक्षण
• प्रशिक्षण केन्द्रित • नियंत्रण प्रशिक्षक के हाथ में • मुख्य फोकस ज्ञानवृद्धि व तकनीकी जानकारी देने पर • फोकस परफार्मेन्स सुधारने पर • दक्षता व जानकारी आधारित पद्धतियों का उपयोग • पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम पर जोर	• सहभागी केन्द्रित • सीखने वाले नियंत्रण करते है • सीखना जानकारी/जागरूकता व दक्षता के स्तर पर • व्यवहार में बदलाव पर केन्द्रित • अनुभव आधारित सीखने की पद्धतियों का उपयोग • प्रौढ़ों के सीखने के सिद्धांतों व सीखने के माहोल बनाने पर जोर

प्रौढ़ कब और कैसे सीखते है ?

सहभागी प्रशिक्षण के सन्दर्भ में यह आधार मानकर चलना चाहिये की प्रौढ़ सीख सकते है वह बदल सकते है और उनका विकास संभव है। यह सच है की यह कठिन है खासकर यदि हम इसकी तुलना बच्चों से करें। यह समझना बहुत जरुरी है कि प्रौढ़ों के पास उम्र के साथ दर्ज किया बहुत अनुभव है, अपना दृष्टिकोण है और समाज को देखने की नजर है। अर्थात वह तभी सीखेंगे जब उनके अनुभव, उनके दृष्टिकोण का आदर किया जाये और सीखने की प्रक्रिया में उनको सम्मान दिया जाये।

इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि सीख का केंद्र बिंदु उनकी आवश्यकताओं और रूचि से जुड़ा हो।

प्रौढ़ के सीखने के सिद्धांत

- प्रौढ़ों के सीखने के लिए जरुरी है एक सुरक्षित एवं समझदार सहायक व चुनौतीपूर्ण माहौल का निर्माण।
- प्रौढ़ों सीख के चक्र में तभी जाते है जब वह उनकी समस्याओं उनके सपनों के आधार पर सीखने के लिये प्रोत्साहित हों। अधिकतर वह -आज और अभी- मिलने वाले परिणामों पर सीख को केन्द्रित कर सकते हैं।
- प्रौढ़ों के अपने और समाज के विभिन्न इकाईयों के बारे में कुछ सोच होती है जो कि उनके पूर्व के अनुभवों के आधार पर बनी होती है। इस सोच और अनुभव को मान्यता देना बहुत आवश्यक है। इनको नकारने से कभी भी नयी सीख नहीं बनायी जा सकती। अनुभवों के नये विश्लेषण से सहजकर्ता नये दृष्टिकोण का निर्माण अवश्य कर सकता है।
- दक्षता आधारित प्रशिक्षण अधिक सहभागी परिस्थितियों का निर्माण करता है। ऐसे में प्रौढ़ों को नयी सीख पर अभ्यास करना बहुत आवश्यक है।
- फीडबैक - अभ्यास की प्रक्रिया में एक सहयोगी -फीडबैक- का माहौल बनाना बहुत आवश्यक होता है। फीडबैक के माध्यम से सीख में सुधार लाया जाता है।
- अभ्यास में सफल होने पर प्रौढ़ प्रोत्साहित होते हैं और अधिक सीखना चाहते हैं।
- प्रौढ़ों के सीखने के अलग-अलग तरीके होते हैं इसलिये कोई एक पद्धति व तकनीक सभी के लिये बराबरी से लाभकारी नहीं होती। इस प्रकार बहुत सारी सीखने की पद्धतियों का इस्तेमाल करना जरुरी हो जाता है।
- सिखाने की प्रक्रिया में बहुत गहरे भावनाओं का उद्भव होता है। इन भावनाओं को तरीके से समझना व निपटाना बहुत आवश्यक होता है अन्यथा प्रौढ़ इन भावनाओं में उलझ जाते हैं और उनका सीखना प्रभावित होता है।

डी-ब्रीफिंग तथा संक्षेपीकरण

मुख्यतः अनुभव आधारित प्रशिक्षण पद्धतियों के उपरांत डी-ब्रीफिंग बहुत आवश्यक होती है।

डी-ब्रीफिंग चक्र के मुख्य घटक हैं -

- अनुभव करना।
- अनुभव के आधार पर अभ्यास करना।
- किये गये अभ्यास को सभी प्रतिभागियों के साथ बांटना एवं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना।
- अभ्यास का विश्लेषण करना अर्थात ऐसे प्रश्न उठाना: क्या ऐसा होता है? आप कैसा महसूस कर रहे थे? तथा ऐसा क्यों होता है? इत्यादि।
- अनुभवों और अभ्यास के विश्लेषण के आधार पर एक ढांचाबद्ध सीख और सिद्धांतों का निर्माण करना।
- सीख के आधार पर नये प्रयोग करना, और फिर से अनुभव कर उस चक्र में जाना।

सहभागी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की भूमिका

प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिये अर्थात प्रशिक्षण के आधार पर ज्ञान व परिवर्तित व्यवहार के निर्माण के लिये, सहभागी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। वह सीखने वालों की क्षमता खासतौर से विश्लेषण क्षमता और नयी सीख के लिये तैयारी बनाने की एक चुनौतीपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। वह एक समय में अनेक भूमिकाओं को निभाता है और प्रशिक्षणार्थियों को हमेशा सीख के लिये अग्रसर करता है। प्रशिक्षण की मुख्य जवाबदारियां निम्न है -

1. प्रशिक्षण नियोजक व डिजाइनर की भूमिका

2. प्रशिक्षण प्रबंधक की भूमिका

3. सहजकर्ता की भूमिका

4. शिक्षक व नयी जानकारी प्रदर्शित करने की भूमिका

5. मित्र की भूमिका

6. स्वयं को एक प्रशिक्षार्थी के रूप में देखने की भूमिका

प्रशिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है और प्रशिक्षक इस जटिल प्रक्रिया को संचालित करता है। इसके लिये वह स्थितियों का विश्लेषण करता है ताकि ज्ञान को प्राप्त होने के वातावरण का निर्माण करता है। प्रशिक्षणार्थियों की क्षमताओं को विकसित करता है यह क्षमतायें उसकी ज्ञान, जागरूकता और दक्षता के आधार पर बांटी जा सकती है। प्रशिक्षक की भूमिका प्रशिक्षण के पहले से ही शुरू हो जाती है व प्रशिक्षण समाप्ति के बाद तक चलती है।

प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण आयोजित करने के अभ्यास हेतु गृह कार्य

प्रशिक्षण के चौथे और अंतिम दिन प्रतिभागियों को प्रशिक्षक के रूप में सत्र आयोजित करने का अभ्यास कराया जायेगा। इसके लिये तीसरे दिन के अंतिम सत्र के बाद प्रतिभागियों को 4 समूहों में बांटें और प्रत्येक समूह को निम्नानुसार विषय प्रदान करें -

समूह -1 : जीपीडीपी निर्माण पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना।

समूह 2: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों को उनकी भूमिकाओं/जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण देना।

समूह 3: जल सुरक्षा योजना पर पंचायत प्रतिनिधियों/ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना।

समूह 4: नल जल योजना के संचालन एवं रखरखाव पर पंप ऑपरेटरों/स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देना।

प्रत्येक समूह इसे गृह कार्य के रूप में स्वीकार्य करेगा और दिये गए विषयों पर 45-45 मिनिट के प्रशिक्षण सत्र की डिजायन एवं विषय वस्तु तैयार करेगा। प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में प्रशिक्षक समूहों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे।

चतुर्थ दिवस

चतुर्थ दिवस, सत्र-2 : प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने का अभ्यास

सत्र के उद्देश्य

- प्रशिक्षण कौशल विकसित करना।
- प्रशिक्षण सत्रों को प्रभावी बनाने के तरीकों पर समझ बनाना।

समयावधि : 2 घन्टे

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, अन्य सामग्री जो प्रतिभागी जरूरी समझें।

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र का संचालन एक दिन पहले बनाये गये समूह-1 और समूह-2 द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक समूह को प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिये 45 मिनिट का समय और 15 मिनिट फीडबैक के लिये सुरक्षित रखे गये हैं। अर्थात एक समूह को कुल 1 घन्टे का समय दिया जायेगा।

प्रत्येक समूह प्रशिक्षण सत्र के आयोजन में निम्न बातों का ध्यान रखेगा –

- समयावधि में सत्र को पूरा करना
- समूह के सभी प्रतिभागियों को अवसर देना
- प्रशिक्षण सत्रों को रोचक बनाने के लिये गतिविधियां शामिल करना
- अन्य समूहों के प्रतिभागियों के द्वारा दिये गये फीडबैकों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना।
- प्रशिक्षक के रूप में इस बात का ध्यान रखना कि सभी प्रतिभागी उनकी बात सुन और समझ रहे हैं।

प्रत्येक समूह द्वारा प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर अन्य प्रतिभागी और प्रशिक्षक अपना फीडबैक देंगे और समूह की अच्छी बातों, प्रयासों की सराहना करेंगे तथा जो कमी हो उसे दूर करने के लिये आवश्यक सुझाव देंगे।

चतुर्थ दिवस, सत्र-3 : प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने का अभ्यास

इस सत्र के संचालन का तरीका उपरोक्त सत्र के समान रहेगी। इसमें समूह-3 और समूह-4 के प्रतिभागी प्रशिक्षक के रूप में सत्र का आयोजन करेंगे। सत्र की अन्य प्रक्रिया उपरोक्त सत्र के समान रहेगी।

चतुर्थ दिवस, सत्र-4 : प्रशिक्षक की भूमिकाएं व कौशल तथा प्रशिक्षण सत्रों के सहज बनाने के सिद्धांत

सत्र के उद्देश्य

- सहभागी प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की भूमिका और कौशल से अवगत कराना।
- प्रशिक्षण को सहज बनाने के तरीकों से अवगत कराना।

समयावधि : 1 घन्टा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर पेन

सत्र संचालन प्रक्रिया

प्रतिभागियों से एक-एक कर निम्न प्रश्न पूछें -

- एक अच्छे प्रशिक्षक के क्या गुण होते हैं?
- किसी भी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की क्या भूमिका होती है?

प्रतिभागियों के जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करते जायें, और सही जवाबों का दोहराव करें। अब नीचे दी गई जानकारी को बिन्दु वार प्रतिभागियों के साथ साझा करें।

प्रशिक्षक की भूमिका

प्रशिक्षक की भूमिकाओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है-

1. प्रशिक्षण से पहले : प्रशिक्षण प्रबंधन संबंधी
2. प्रशिक्षण के दौरान : सहजकर्ता, शिक्षक, मित्र आदि
3. प्रशिक्षण के बाद : प्रबंधन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग इत्यादि

प्रशिक्षक की भूमिका

प्रशिक्षण डिजाइनर और नियोजक	प्रबंधक
• सीख के बिन्दुओं को प्रेषित करना और उसके आधार पर प्रशिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करना। • प्रशिक्षण हेतु योजना की रणनीति बनाना। • प्रशिक्षणर की विषय वस्तु तैयार करना तथा उनको एक नियोजित तरीके से क्रमबद्ध करना और उपयुक्त विधि का चयन करना।	• प्रशिक्षण की जिम्मेदारियों का बंटवारा • वित्तीय प्रबंधन • दिवस और स्थान का चयन इसके साथ और किसी प्रकार के भौतिक संसाधनों की तैयारी। • चयनित स्थान पर सुविधाओं का अवलोकन करना। • सभी सुविधाओं का परस्पर संबंध स्थापित करना।

• आवश्यकतानुसार संदर्भ व्यक्ति का चयन करना। • प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।	• प्रशिक्षार्थियों से प्रशिक्षण के बाद भी संपर्क स्थापित रखना तथा उनको रिपोर्ट आदि भेजना। • आपात स्थिति जैसे बीमारी, दुर्घटना से निपटना।
सहजकर्ता	**शिक्षक**
• समूह प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना व उन पर नियंत्रण रखना। • समूह व समूह के प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहित और प्रेरित करना। • सीखने के वातावरण का निर्माण करना । • समूह में चर्चाओं को आरंभ करना व केन्द्रित करना। • प्रशिक्षार्थियों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करना जिससे वे अपनी क्षमताओं के अनुसार काम कर सकें।	• नयी जानकारियां तथा तथ्यों को समझाना। • जानकारी व अनुभवों के आधार पर नया आधार बनाना। • सीख की प्रक्रिया को ढांचाबद्ध तरीकों से बांधना। • विभिन्न पद्धतियां जैसे रोल प्ले, चर्चा, सिमुलेशन इत्यादि को सम्पादित करना। • प्रशिक्षण के नये संसाधनों जैसे वीडियो कैमरा, टेप, फ्लेश कार्ड इत्यादि को सही तरीके से इस्तेमाल करना।
सहभागी	**प्रशिक्षार्थी**
• प्रशिक्षार्थियों से बराबर संपर्क में रहना। • उनके विचारों, कठनाईयों, खुशी एवं निराशाओं में उनकी मदद करना। • अपने अनुभवों को उनमें बांटना। • मित्रतापूर्ण व्यवहार से वातावरण को सहज बनाना।	• समूह के अनुभव के आधार पर स्वयं के सीखने की तैयारी रखना। • दूसरों के दृष्टिकोण और सोच को समझना। • दूसरों के अनुभव से सीखना। • समूह के द्वारा बनाये गये सीखने के ढांचों को ग्रहण करना।

प्रशिक्षकों में कौशल

1. **प्रशिक्षकों में ट्रिपल AAA गुण होने चाहिए :**
   - A - आवाज (अच्छी आवाज के साथ स्पष्ट और प्रभावी संचार)
   - A - अंदाज (अच्छी प्रस्तुतिकरण शैली और शारीरिक हाव-भाव/बॉडी लैंग्वेज)
   - A - आगाज़ (सत्र की बढ़िया और प्रभावी शुरुआत)
2. **किसी भी विषय पर प्रशिक्षण देने से पहले प्रशिक्षकों के पास तीन बुनियादी क्षमताएं होनी चाहिए – केवीसी (KVC)**

- **K - (जिस विषय पर प्रशिक्षण देना है उसका ज्ञान)**
- **V - (मूल्य)**
  - नैतिक मूल्य: व्यक्ति का व्यवहार उसके मूल्यों को परिभाषित करता है।
  - ईमानदार

- सकारात्मक दृष्टिकोण
- अच्छा श्रोता
- अनुशासित और केन्द्रित (फोकस्ड)
- प्रभावी समय प्रबंधक
- नियमबद्ध
- आपत्तियों/प्रतिक्रियाओं का समाधान करना जानता हो
- प्रभावी संवाद : मौखिक और लिखित
- मजबूत इरादा
- बदलने/अपग्रेड करने की इच्छा शक्ति
- फालोअप में प्रभावी
- प्रतिबद्धताओं और डिलिवरेबल्स का सम्मान

☞ **C - (संचार कौशल - संचार सभी किसी भी प्रशिक्षण का बुनियादी मूल्य है। इसमें बोली जाने वाली, लिखकर बतायी जाने वाली, सक्रिय रूप से सुनने और समझने की संचार कौशल शामिल है। सक्रिय रूप से सुनने का मतलब उस व्यक्ति पर ध्यान देना, जो आपसे बात कर रहा है।)**

- अपनी संचार शैली को प्रतिभागियों के अनुकूल बनाना।
- मित्रता/दोस्ताना
- आत्मविश्वास
- फीडबैक देना और प्राप्त करना।
- संचार की मात्रा और स्पष्टता
- सहानुभूति
- आदर/सम्मान

केवीसी - प्रशिक्षकों में संतुलित अनुपात में होना चाहिए। यदि प्रशिक्षक के पास K, V, C में से कोई भी अधिक या कम है तो वह प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण देने में सक्षम नहीं होगा।

फैसीलिटेशन या सहजीकरण क्या है ?

सहभागी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक ज्ञान/कौशल को प्रतिभागियों के ऊपर थोपता नहीं है बल्कि उनके अनुभवसिद्ध ज्ञान को मान्यता देते हुए उन्हें सीखने की प्रक्रिया से जोड़ता है और उनके अनुभवों से नये ज्ञान का सृजन करता है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षक की भूमिका मात्र फैसीलिटेटर (सहजकर्ता) की होती है। यदि हम फैसीलिटेशन को सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करें तो - वह कार्य जिसमें बगैर किसी बाधा के कार्य को आसान बनाया जा सके फैसीलिटेशन कहलाता है।

फैसीलिटेशन दो स्तरो पर होता है :

- व्यक्ति के स्तर पर
- समूह के स्तर पर

फैसीलिटेशन हेतु ध्यान में रखने वाली बातें :

फैसीलिटेशन के लिये यह आवश्यक है कि उसे समूह की प्रक्रियाओं तथा प्रतिभागियों की परफारमेन्स में आ रही बाधाओं/कठिनाईयों की जानकारी हो। इसके लिये निम्नांकित प्रयास किये जा सकते है-

- **व्यक्ति/समूह के साथ बात-चीत करे -**
  - व्यक्ति/समूह के साथ बात-चीत के दौरान भयमुक्त वातावरण का निर्माण करें तथा बात-चीत में खुलापन हो, पद असमानता या प्रतिभागियों के बीच अन्य असमानता को बाधा न बनने दें।
  - कठिनाईयों पर सीधे बात-चीत न करें एवं प्रशंसात्मक लहजे में बात-चीत करें नहीं तो व्यक्ति डिफेन्सिव (बचाव) हो जायेगा और अपनी कठिनाईयों को छुपाने का प्रयास करेगा।
  - फील्ड के अवलोकन/उदहारण का संदर्भ बात-चीत के दौरान दें।
  - खुले प्रश्न पूछे।
  - अपनी कठिनाईयों को बताने हेतु प्रतिभागी को प्रोत्साहित करें।

3. दृष्टिकोण और प्रशिक्षण के तरीके

प्रशिक्षक को प्रतिभागियों के ज्ञान स्तर, कौशल और दृष्टिकोण के अनुसार प्रशिक्षण के तरीको को अपनाना चाहिए। उदहारण के लिये –

1. यदि प्रतिभागियों को विषय का ज्ञान ना हो या कम ज्ञान है तो व्याख्यान दृष्टिकोण और विधियों का उपयोग किया जा सकता है।
   - व्याख्यान पद्धति का उपयोग नई जानकारी एवं अवधारणाएं प्रतिभागियों को देते समय करते हैं।
   - इस पद्धति द्वारा बहुत सारी विषय-वस्तु कम समय में बतायी जा सकती है।
   - बाहरी रिसोर्स पर्सन द्वारा कुछ विशिष्ट विषयों पर समझ बनाने के लिए।
2. यदि प्रतिभागियों को विषय का ज्ञान है तो समूह चर्चा दृष्टिकोण और विधियों का उपयोग किया जा सकता है।
   - जब विषय वस्तु पर सहभागियों के पूर्व के अनुभव हों।
   - चर्चा में वे अपने अनुभव, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति के आधार पर नये ज्ञान का सृजन करते हैं।

आदर्श फैसीलिटेटर के गुण